

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 24]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 14 जून 2019—ज्येष्ठ 24, शक 1941

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 27 मई 2019

क्र. एफ 1-37-2019-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्रीमती दीपिका सूरी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 27 से 22 मई 2020 तक, 361 दिवस संतान. पालन अवकाश (CCL) तथा दिनांक 25-26 मई 2019 व 23-24 मई 2020 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ California, Berkeley, USA की निजी विदेश यात्रा (Ex India Leave) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है:—

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.

2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती दीपिका सूरी, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती दीपिका सूरी, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती दीपिका सूरी भापुसे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनी रहतीं.

5477

भोपाल, दिनांक 29 मई 2019

क्र. एफ-1(ए)212-1986-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन), पु. मु., भोपाल को दिनांक 01, 03, 7 जून 2019 के तीन दिवस आकस्मिक अवकाश एवं दिनांक 04, 06 जून 2019 का दो दिवस ऐच्छिक अवकाश व दिनांक 02, 05, 08 व 9 जून 2019 के राजपत्रित अवकाश के लाभ के साथ खण्डवर्ष 2018-21 के प्रथम विस्तार वर्ष में अकेले गृह नगर सहारनपुर, उ. प्र. की अवकाश यात्रा सुविधा की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन), पु. मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भापुसे, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं।

भोपाल, दिनांक 31 मई 2019

क्र. एफ 1(ए)19-2017-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री सत्येन्द्र कुमार शुक्ल, भापुसे, सेनानी 2री वाहिनी, विसबल, ग्वालियर को खण्डवर्ष 2018-21 के प्रथम विस्तार वर्ष दिनांक 6 से 14 जून 2019 तक, कुल नौ दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 5 जून व 15-16 जून 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में भारत भ्रमण के अन्तर्गत लेह-लद्दाख (जम्मू-कश्मीर) की यात्रा पर जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अन्तर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

1.	श्री सत्येन्द्र कुमार शुक्ल	—	स्वयं
2.	श्रीमती अंजू शुक्ल	—	पत्नी
3.	श्री सहर्ष शुक्ल	—	पुत्र

(2) उक्त अवकाश अवधि में श्री सत्येन्द्र कुमार शुक्ल, भापुसे का चालू कार्य श्री योगेश्वर शर्मा, रापुसे, उप सेनानी, 2री वाहिनी, विसबल, ग्वालियर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री सत्येन्द्र कुमार शुक्ल, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सेनानी, 2री वाहिनी, विसबल, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री सत्येन्द्र कुमार शुक्ल, भापुसे के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री सत्येन्द्र कुमार शुक्ल, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सत्येन्द्र कुमार शुक्ल, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 1 जून 2019

क्र. एफ 1-43-2019-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री रवि कुमार गुप्ता, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, भोपाल को दिनांक 3 से 13 जून 2019 तक, ग्यारह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 02 जून 2019 के पूर्ववर्ती विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में परिवार सहित सिंगापुर, मलेशिया की निजी विदेश यात्रा (Ex India Leave) की कार्योत्तर अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है:—

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे।
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे।
4. स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं करेंगे।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री रवि कुमार गुप्ता, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से अति. पुलिस महानिदेशक, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री रवि कुमार गुप्ता, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रवि कुमार गुप्ता, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ 1(ए)66-2013-ब-2-दो.—राज्य शासन श्री रामाश्रय चौबे, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, होशंगाबाद रेन्ज, होशंगाबाद को खण्डवर्ष 2018-21 के प्रथम विस्तार वर्ष दिनांक 6 से 20 जून 2019 तक, कुल पन्द्रह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 5 जून 2019 के विज्ञप्त अवकाश के साथ उक्त अवकाश अवधि में भारत भ्रमण के अन्तर्गत पूर्वोत्तर राज्य गुवाहाटी (असम) की यात्रा पर जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अन्तर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

1.	श्री रामाश्रय चौबे	—	स्वयं
2.	श्रीमती गीता चौबे	—	पत्नी
3.	सुश्री पूजा चौबे	—	पुत्री
4.	श्री अभिषेक चौबे	—	पुत्र

(2) उक्त अवकाश अवधि में श्री रामाश्रय चौबे, भापुसे, का चालू कार्य पुलिस अधीक्षक, होशंगाबाद द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री रामाश्रय चौबे, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक, होशंगाबाद रेन्ज, होशंगाबाद के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री रामाश्रय चौबे, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री रामाश्रय चौबे, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रामाश्रय चौबे, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ-1(ए)-94-1999-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री उमेश जोगा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, विसबल, रेन्ज जबलपुर को दिनांक 10 से 29 जून 2019 तक, बीस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 08-09 जून 2019 तथा 30 जून 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है।

(2) श्री उमेश जोगा, भापुसे, की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री विवेक शर्मा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, जबलपुर जोन जबलपुर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री उमेश जोगा, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक, इन्दौर रेन्ज (ग्रामीण) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री उमेश जोगा, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री उमेश जोगा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री उमेश जोगा, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ 1(ए)123-2016-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री महेश चन्द्र जैन, भापुसे, सेनानी 24वीं वाहिनी, विसबल, जावरा, जिला-रतलाम को दिनांक 3 से 14 जून 2019 तक, कुल बारह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 2 जून व 15-16 जून 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ खण्डवर्ष 2018-21 के प्रथम

विस्तार वर्ष में उत्तर पूर्व राज्य (सिक्किम) की अवकाश यात्रा सुविधा परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के एवं साथ 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

- | | | |
|-------------------------|---|-------|
| 1. श्री महेश चन्द्र जैन | — | स्वयं |
| 2. श्रीमती उषा जैन | — | पत्नी |
| 3. श्री निहित जैन | — | पुत्र |
| 4. श्री सहित जैन | — | पुत्र |

(2) अवकाश से लौटने पर श्री महेश चन्द्र जैन, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, सेनानी 24वीं वाहिनी, विसबल, जावरा, जिला-रतलाम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री महेश चन्द्र जैन, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री महेश चन्द्र जैन, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 3 जून 2019

क्र. एफ 1-45-2019-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री वरूण कपूर, भापुसे., अति. पुलिस महानिदेशक इन्दौर जोन, इन्दौर को दिनांक 10 से 14 जून 2019 तक, पांच दिवस आकस्मिक अवकाश एवं दिनांक 08-09 जून 2019 के पूर्ववर्ती तथा दिनांक 15-16 जून 2019 के पश्चात्पूर्व विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में परिवार सहित भूटान की निजी विदेश यात्रा (Ex-India Leave) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है:—

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे।
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे।
4. स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं करेंगे।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री वरूण कपूर, भापुसे., को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से अति. पुलिस महानिदेशक इन्दौर जोन, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री वरूण कपूर, भापुसे., को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री वरूण कपूर, भापुसे., अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीदास, अवर सचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

सूचना

भोपाल, दिनांक 3 जून 2019

क्र. एफ-3-22-2019-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012) की धारा 23 "क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक 3543-33-उपां-टी सी-उज्जैन-2018, दिनांक 23 जून 2018 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित उज्जैन विकास योजना 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं :-

अनुसूची

क्रमांक (1)	ग्राम (2)	खसरा क्र. (3)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग (5)	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग (6)
1	पंवासा, तहसील- उज्जैन, जिला-उज्जैन.	1 2/1/1/मिन-2 2/1/2 2/1/3	2.289 0.970 2.753 1.254	कृषि एवं प्रस्तावित बायवास मार्ग.	आवासीय एवं प्रस्तावित बायपास मार्ग (प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु).

योग . . 7.266

1. स्थल पर विकास एवं निर्माण के पूर्व नियमानुसार नगरपालिक निगम, उज्जैन के पक्ष में आवंटन किया जाना आवश्यक होगा.
2. उपरोक्त उपांतरण उज्जैन विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा.

सूचना

क्र. एफ-3-23-2019-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012) की धारा 23 "क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक 7344-टीसी-46-उपां-नग्रानि-2018, कटनी, दिनांक 18 दिसम्बर 2018 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित कटनी विकास योजना 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

अनुसूची

क्रमांक (1)	ग्राम (2)	खसरा क्र. (3)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग (5)	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग (6)
1	मौजा, खिरहनी	1548/4, 1560/1-5	121.986 में से 10.22 हेक्टेयर	कृषि	आवासीय (प्रधानमंत्री आवास योजना).

योग . . 10.22

उपरोक्त उपांतरण कटनी विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा.

सूचना

क्र. एफ-3-24-2019-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012) की धारा 23 "क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक 7375-उपां-टी सी-गुना, दिनांक 18 दिसम्बर 2018 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित गुना विकास योजना 2031 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं :—

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	सर्वे क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	जगनपुर	33 मिन	0.54	प्रस्तावित मार्ग (24 मीटर चौड़ा)	प्रस्तावित आवासीय
		45 मिन	0.61	प्रस्तावित मार्ग (24 मीटर चौड़ा)	प्रस्तावित आवासीय
		66 मिन	0.52	प्रस्तावित मार्ग (24 मीटर चौड़ा)	प्रस्तावित आवासीय
		33 मिन	0.63	प्रस्तावित आवासीय	प्रस्तावित मार्ग (24 मीटर चौड़ा)
		45 मिन	0.58	प्रस्तावित आवासीय	प्रस्तावित मार्ग (24 मीटर चौड़ा)
		66 मिन	0.46	प्रस्तावित आवासीय	प्रस्तावित मार्ग (24 मीटर चौड़ा)
		33 मिन	0.044	प्रस्तावित मार्ग (18 मीटर चौड़ा)	प्रस्तावित आवासीय
		45 मिन	0.53	प्रस्तावित मार्ग (18 मीटर चौड़ा)	प्रस्तावित आवासीय
		44 मिन	0.148	प्रस्तावित मार्ग (18 मीटर चौड़ा)	प्रस्तावित आवासीय
		45 मिन	0.42	प्रस्तावित आवासीय	प्रस्तावित मार्ग (18 मीटर चौड़ा)
		47 मिन	0.29	प्रस्तावित आवासीय	प्रस्तावित मार्ग (18 मीटर चौड़ा)
		45 मिन	0.054	प्रस्तावित आमोद प्रमोद के अन्तर्गत उद्यान.	प्रस्तावित आवासीय

योग . . 4.826

उपरोक्त उपांतरण गुना विकास योजना 2031 का एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 20 फरवरी 2017

क्र. एफ-3-85-2016-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 (2) के अन्तर्गत राज्य शासन, एतद्द्वारा, इस अधिनियम के अधीन विभागीय अधिसूचना क्रमांक 4961-5929-बत्तीस-77, भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर 1977 के द्वारा गठित सबलगढ़ निवेश क्षेत्र की सीमाओं को संशोधित कर निवेश क्षेत्र को पुनर्गठित करता है. पुनर्गठित निवेश क्षेत्र की सीमाएं नीचे दी गई हैं.

सबलगढ़ पुनर्गठित निवेश क्षेत्र की सीमायें

उत्तर में—ग्राम देवपुर, सुन्देरा, शिवलालपुरा तथा रानीपुरा की उत्तरी सीमा तक
पश्चिम में—ग्राम देवपुर, पूछरी, काजौना तथा ग्राम तिंदौली की पश्चिमी सीमा तक
दक्षिण में—ग्राम तिंदौली, सबलगढ़ तथा ग्राम कुतधान की दक्षिणी सीमा तक
पूर्व में—ग्राम कुतधान, देवपुर माफी, गुदाया खुर्द तथा ग्राम रानीपुर की पूर्वी सीमा तक.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. के. साधव, उपसचिव.

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 जून 2019

क्र. बी-15-28-2019-चौदह-2.—केन्द्र शासन की “प्राईज सपोर्ट स्कीम” के अन्तर्गत केन्द्र/राज्य शासन की संस्थाओं के द्वारा अधिसूचित कृषि जिन्स चना, मसूर एवं सरसों की खरीदी की गई है और इस योजना का अधिक से अधिक लाभ कृषकों को दिये जाने का विनिश्चय राज्य शासन के द्वारा किया गया है।

मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 69 की उपधारा (1) एवं (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, एतद्वारा, केन्द्र/राज्य शासन की संस्थाओं द्वारा “प्राईज सपोर्ट स्कीम” के अन्तर्गत अधिसूचित कृषि जिन्स चना, मसूर एवं सरसों की प्रदेश के किसानों से क्रय मात्रा पर, देय मण्डी फीस से छूट प्रदान की जाती है।

मण्डी फीस के भुगतान से यह छूट उपार्जन प्रारंभ होने के दिनांक 25 मार्च 2019 से उपार्जन की अंतिम तिथि तक की अवधि के लिए ही मान्य होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

उपेन्द्र नाथ शर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 6 जून 2019

क्र. बी-15-28-2019-चौदह-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 6 जून 2019 की अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

उपेन्द्र नाथ शर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 6th June 2019

No. B-15-28-2019-XIV-2.—The State Government have resolved to maximize the benefit to the farmers of the state, under the Government of India's “Price Support Scheme”, notified agriculture produce Chana, Masur and Sarso is being procured by the agencies appointed by Government of India/State Government.

In exercise of the powers conferred sub-section (1) and (2) of Section 69 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhinyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby, exempt the agencies appointed by GOI/State Government for procurement of notified agriculture produce Chana, Masur and Sarso under the “Price Support Scheme” from the farmers state, from payment of Market Fee.

The above exemption from payment of Market Fee shall be effective from the date of beginning of procurement that ie from 25th March 2019 till the procurement last date.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

UPENDRA NATH SHARMA, Dy. Secy.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश

नरसिंहपुर, दिनांक 30 मई 2019

क्र. 5517-सालि.-2019.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का सरल क्रमांक 2) की धारा 2 खण्ड एस एवं शासन के आदेश क्रमांक एफ-2 (क)-10-2012-बी-3-दो, दिनांक 8 अगस्त 2013 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक उपांतरण करते हुए राज्य शासन द्वारा “मध्यप्रदेश राजपत्र” में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से—

(एक) नीचे दी सारणी के कॉलम (1) में उल्लेखित पुलिस थाने से उसके (सारणी के) कालम नंबर (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों का अपवर्जित करती है.

(दो) सारणी के कालम नंबर (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को सारणी के कालम नंबर (3) में उल्लेखित पुलिस चौकी में सम्मिलित करती है:—

सारणी

पुलिस थाने का नाम तहसील तथा जिला सहित जिससे अपवर्जित किया है (1)	ग्रामों एवं कालोनियों क्षेत्रों के नाम (2)	पुलिस थाने का नाम/ तहसील जिला सहित जिसमें से सम्मिलित किया गया है (3)
जिला नरसिंहपुर, थाना डोंगरगांव की नवीन पुलिस चौकी कल्याणपुर को स्वीकृत किया गया है	चौकी कल्याणपुर के ग्राम-16	थाना डोंगरगांव की नवीन पुलिस चौकी कल्याणपुर को स्वीकृत की गई है.

No. F-2 (K)08-B-3-Two.—In exercise of the powers conferred by clause (s) Section 2 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974) and Madhya Pradesh Home (Police) Department Order No. F-2(K)-19-2012-B-3-2 Bhopal, dated the 8th August 2013 in partial Modification of the previous Notification affecting the local areas specified in the Table below, the State Government, here by with effect from date of publication of this notification in the “Madhya Pradesh Gazette”:

(1) Excludes from the Police Station mentioned in the column (1) of the Table below the local areas specified in the column (2) there of and

(2) Includes of the local areas specified in the column (2) of the said Table in the Police Chouki mentioned in column (3) of the said Table : —

TABLE

Name of the Police Station [(with Tehsil and the Distt.) from which excluded (1)] (1)	Name of the Village/local Areas Name of the/Ward No. Settlement No./local Areas (2)	Name of Police Station (with Tehsil and the District) from which included (3)
Police Station Dongargaon-District Narsinghpur	Chouki Kalyanpur Village-16	Police Station Dongargaon Senction New Police Chouki Kalyanpur

क्र. 5519-सांलि.-2019.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का सरल क्रमांक 2) की धारा 2 खण्ड एस एवं शासन के आदेश क्रमांक एफ-2 (क)-19-2012-बी-3-दो, दिनांक 8 अगस्त 2013 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक उपांतरण करते हुए राज्य शासन द्वारा "मध्यप्रदेश राजपत्र" में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से—

(एक) नीचे दी सारणी के कॉलम (1) में उल्लेखित पुलिस थाने से उसके (सारणी के) कालम नंबर (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों का अपवर्जित करती है.

(दो) सारणी के कालम नंबर (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को सारणी के कालम नंबर (3) में उल्लेखित पुलिस चौकी में सम्मिलित करती है:—

सारणी

पुलिस थाने का नाम तहसील तथा जिला सहित जिससे अपवर्जित किया. (1)	ग्रामों एवं कालोनियाँ क्षेत्रों के नाम (2)	पुलिस थाने का नाम/ तहसील जिला सहित जिसमें से सम्मिलित किया गया है (3)
जिला नरसिंहपुर, थाना साईंखेड़ा की नवीन पुलिस चौकी बम्होरी कला को स्वीकृत किया गया है	चौकी बम्होरी कलाके ग्राम-20	थाना साईंखेड़ा की नवीन पुलिस चौकी बम्होरी कला स्वीकृत की गई है.

No. F-2-(K)08-B-3-Two.—In exercise of the powers conferred by clause (s) Section 2 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974) and Madhya Pradesh Home (Police) Department Order No. F-2(K)-19-2012-B-3-2 Bhopal, dated the 8th August 2013 in partial Modification of the previous Notification affecting the local areas specified in the Table below, the State Government, here by with effect from date of publication of this notification in the "Madhya Pradesh Gazette":—

- (1) Excludes from Police Station mentioned in the column (1) of the Table below the local areas specified in the column (2) there of and
- (2) Includes of the local areas specified in the column (2) of the said Table in the police Chouki mentioned in column (3) of the said Table : —

TABLE

Name of the Police Station [(with Tehsil and the Distt.) from which excluded (1)] (1)	Name of Village/local Areas Name of the/Ward No. Settlement No./local Areas (2)	Name of Police Station (with Tehsil and the District) from which included (3)
Police Station Sainkheda, District Narsinghpur	Chouki Bamhorikala Village-20	Police Station Sainkheda, Senction New Police Chouki Bamhorikala

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपक सक्सेना, जिला दण्डाधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प. क्र. 2893-जि.भू.अ.-2019

सिवनी, दिनांक 28 मई 2019

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

अनुसूची

1- भूमि का विवरण:-

जिला	तहसील / रा.नि.म.	ग्राम / प. ह.न./ब.न.	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे.)	धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
सिवनी	बरघाट	निवारी बं.नं. 309 प.ह.नं. 65	3.04 हे.	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग कं. 1 सिवनी जिला सिवनी	कांचना मंडी जलाशय के अंतर्गत अतिरिक्त डूब क्षेत्र

- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बरघाट, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग कं. 1 सिवनी, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बरघाट जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रवीण सिंह अढायच, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रा.प्र. क्रमांक-02-अ-82-2018-2019-भू-अर्जन

छिन्दवाड़ा, दिनांक 29 मई 2019

म0प्र0 शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2/2014/सात/शा.2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी "आपसी सहमति से भूमि कय नीति"(Consent Land Purchase Policy) के तहत साईंखेडा जलाशय के अंतर्गत बांध निर्माण हेतु हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि कय किये जाने हेतु म0प्र0 शासन जल संसाधन विभाग के पक्ष में कय किया जाना प्रस्तावित है। उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप "क" में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप "ख" में सहमति ले ली गई है।

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के बांध निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

-:अनुसूची:-

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ ग्राम	कय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता	खसरा नम्बर	कय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	योजना जिसके लिये भूमि कय की जाना प्रस्तावित है।
1	2	3	4	5	6	7
छिन्दवाड़ा	साँसर	ग्राम-साँइखेडा, प0ह0न0-54/ 21, ब0न0-374, रा0नि0म0- लोधीखेडा	रंजना विधवा हेमराज, शुभम, स्नेहा पिता हेमराज महार निवासी ग्राम भूमि स्वामी-साँइखेडा	309/2	0.646	साँइखेडा जलाशय के अंतर्गत बांध निर्माण के हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये।
		कुल योग		1	0.646 हेक्टेयर	

2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू-भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बंध में कोई आक्षेप/आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है।

रा.प्र. क्रमांक-03-अ-82-2017-2018-भू-अर्जन

म0प्र0 शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2/2014/सात/शा.2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी "आपसी सहमति से भूमि कय नीति" (Consent Land Purchase Policy) के तहत गोडीवाढोना जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि कय किये जाने हेतु म0प्र0 शासन जल संसाधन विभाग के पक्ष में कय किया जाना प्रस्तावित है। उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप "क" में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप "ख" में सहमति ले ली गई है।

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में गोडीवाढोना जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

--:अनुसूची:-

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ ग्राम	कय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता	खसरा नम्बर	कय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	योजना जिसके लिये भूमि कय की जाना प्रस्तावित है।
1	2	3	4	5	6	7
छिन्दवाड़ा	सौंसर	ग्राम-गोडीवाढोना, प0ह0न0 -55, ब0न0-101, रा0नि0म0-लोधीखेडा,	1. छत्रपति पिता कुंडलिक कुनबी, निवासी ग्राम भूमि स्वामी-गोडीवाढोना 2. मीराबाई पति मुरलीधर महारनिवासी ग्राम भूमि स्वामी-गोडीवाढोना 3. मोरेश्वर पिता गणनत कुनबी, निवासी ग्राम भूमि स्वामी-गोडीवाढोना	364/5 330/3 289/2	0.273 0.035 0.637	गोडीवाढोना जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये।
			4. गोपाल, नरेन्द्र ना0बा0 पिता रंगराव, यमुना बाई विधवा रंगराव, निवासी ग्राम भूमि स्वामी-गोडीवाढोना	334/3	0.205	
		कुल योग		4	01.150 हेक्टेयर	

2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू-भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बंध में कोई आक्षेप/आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है।

रा.प्र. क्रमांक-09-अ-82-2017-2018-भू-अर्जन

म0प्र0 शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2/2014/सात/शा.2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी "आपसी सहमति से भूमि कय नीति" (Consent Land Purchase Policy) के तहत गुरैया जलाशय के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि कय किये जाने हेतु म0प्र0 शासन जल संसाधन विभाग के पक्ष में कय किया जाना प्रस्तावित है। उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप "क" में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप "ख" में सहमति ले ली गई है।

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में पंच व्यपवर्तन परियोजना के बांध निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

:-अनुसूची:-

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ ग्राम	कय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता	खसरा नम्बर	कय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	योजना जिसके लिये भूमि कय की जाना प्रस्तावित है।
1	2	3	4	5	6	7
छिन्दवाड़ा	अमरवाड़ा	ग्राम-गुरैया, प0ह0न0-35 ब0न0-65, रा0नि0म0- सिंगोडी	भोजे, मोजे पिता सखा अहिर निवासी ग्राम भूमि स्वामी-गुरैया	72/2	0.200	गुरैया जलाशय के अंतर्गत नहर निर्माण के हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये।
		कुल योग		1	0.200 हेक्टेयर	

2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू-भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बंध में कोई आक्षेप/आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है।

रा.प्र. क्रमांक-22-अ-82-2017-2018-भू-अर्जन

म0प्र0 शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2/2014/सात/शा.2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी "आपसी सहमति से भूमि कय नीति"(Consent Land Purchase Policy) के तहत घोघरा जलाशय के अंतर्गत बांध निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि कय किये जाने हेतु म0प्र0 शासन जल संसाधन विभाग के पक्ष में कय किया जाना प्रस्तावित है। उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप "क" में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप "ख" में सहमति ले ली गई है।

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के बांध निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

:-अनुसूची:-

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ ग्राम	कय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता	खसरा नम्बर	कय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	योजना जिसके लिये भूमि कय की जाना प्रस्तावित है।
1	2	3	4	5	6	7
छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	ग्राम-घोघरा, प0ह0न0-55, ब0न0-146, रा0नि0म0- छिन्दवाड़ा-1	अरविंद पिता भैयालाल गौली निवासी ग्राम भूमि स्वामी-घोघरा	57/1	0.340	घोघरा जलाशय के अंतर्गत बांध निर्माण के हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये।
		कुल योग		1	0.340 हेक्टेयर	

2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू-भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बंध में कोई आक्षेप/आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है।

क्रमांक-1357-भू-अर्जन

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2. मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22 /03/2016-17/ल0सि0/31/997 भोपाल, दिनांक 17 अगस्त, 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।" अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	पांडुर्णा	ग्राम-सेन्दुरजना प0ह0न-21 ब.न.-405 रा.नि.मं. -नांदनवाडी	रकबा-03.523 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां।	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-पांडुर्णा जिला छिन्दवाड़ा	सेन्दुरजना जलाशय के बांध निर्माण हेतु निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.chhindwara.nic.in एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-पांडुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा (म0प्र0) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उप संभाग पांडुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्रमांक 3457 ए-भू-अर्जन-2019

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2 मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22 ए/101/2016/एम0पी0एस0/31/1875 भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।" अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	चौरई	ग्राम-मुआर प0ह0न-02 ब.न.-238 रा.नि.म.-चौरई	रकबा-0.200 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियाँ।	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-चौरई जिला छिन्दवाड़ा	पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब प्रभावित क्षेत्र के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.chhindwara.nic.in एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-चौरई जिला छिन्दवाड़ा (म0प्र0) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक-01 चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन मिट्टी बांध उपसंभाग क्रमांक-02 सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्रमांक-3458 ए-भू-अर्जन-2019

चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

--:अनुसूची:--

1. भूमि का वर्णन

क.	जिला	छिन्दवाड़ा
ख.	तहसील	चौद
ग.	नगर/ग्राम	ग्राम-सीदप, प0ह0न-07, ब.न.-283 रा.नि.म.-चौद,
घ.	अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल	कुल रकबा-08.853 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ

क्रमांक	प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
1	74/5, 74/6, 75/1, 77/16	0.072
2	74/9, 74/10, 75/2, 77/31	0.056
3	80/1	0.196
4	82	0.014
5	83/1, 84	0.040
6	83/2, 87/1	0.112
7	83/3, 87/2	0.076
8	86/1	0.144
9	86/2	0.160
10	60/7	0.344
11	57/2, 60/4	0.090

12	57/4	0.300
13	249, 250	0.182
14	217	0.230
15	218/1, 219/1	0.008
16	171/1, 171/2	0.080
17	218/3, 219/3	0.040
18	218/2, 219/2	0.039
19	218/4, 219/4	0.024
20	218/6, 219/6	0.144
21	202/11, 202/12	0.040
22	192/2	0.020
23	189/2, 190/2	0.056
24	189/3, 190/3	0.032
25	189/4, 190/4	0.076
26	189/5, 190/5	0.164
27	189/6, 190/6	0.084
28	189/7, 190/7	0.024
29	187/2	0.180
30	187/1	0.080
31	181	0.028
32	174/1	0.180
33	171/6, 171/7	0.108
34	171/3	0.092
35	171/4/2	0.098
36	163/1	0.015
37	163/2	0.015
38	163/3	0.015
39	163/4	0.017
40	161/2, 162/3	0.020

41	161/1, 162/1	0.016
42	378/3, 380/3, 381	0.085
43	155/1, 382/1	0.040
44	155/2, 382/2	0.060
45	143/3	0.086
46	130/6, 130/19	0.024
47	130/4, 130/5, 131/1	0.136
48	257/4, 267/4	0.070
49	259/5, 260/5, 261/5, 262/5, 263/5, 264/5, 266/5, 268/5	0.095
50	268/5, 269/5, 270/5, 272/7, 272/8	0.150
51	277/5, 278/5	0.060
52	277/4, 278/5	0.052
53	277/2, 278/3	0.028
54	278/1	0.132
55	304/2, 305/2, 306/2	0.064
56	304/6, 305/6, 306/6	0.008
57	308/3	0.182
58	308/5	0.105
59	309	0.048
60	310/2	0.014
61	311/3	0.086
62	311/1	0.033
63	313/2	0.077
64	315/1	0.120
65	314/17	0.230
66	323, 336	0.154
67	324/2	0.260
68	326/1	0.072
69	328/1	0.060

70	326/2	0.096
71	328/2	0.060
72	397/1, 398/1, 401/1, 402/1, 405/1	0.080
73	397/2, 398/3, 401/2, 402/2, 405/2	0.080
74	426	0.090
75	428/2	0.120
76	449/9, 507/9, 508/2	0.032
77	424/1	0.024
78	430/2	0.062
79	433/2	0.134
80	435, 436	0.160
81	447/2	0.104
82	443/1	0.144
83	438/2	0.024
84	438/1	0.084
85	445/1, 447/1	0.136
86	442/2, 446/1	0.068
87	449/8	0.097
88	449/10	0.052
89	449/1	0.060
90	456/1	0.032
91	456/3	0.060
92	507/5	0.036
93	468/3	0.104
94	467/2, 466/3	0.052
95	467/3 ख	0.076
96	467/1	0.060
97	453/1, 454/1	0.028
98	456/2	0.052

99	463/1	0.040
100	463/2	0.048
101	461/2, 461/3,	0.088
102	642/4	0.100
103	461/4, 642/1	0.068
104	642/6, 644/1	0.060
2	योग :-	कुल रकबा- 08.853 हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- पंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अन्तर्गत हरदुआ वितरक नहर से निकलने वाली 4 एल, 5 एल, 6 एल माइनर एवं सब माइनर के निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं M0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग कमांक-2 छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

क्रमांक-3463-भू-अर्जन-2019

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2. चूंकि, भारत सरकार रेल मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 2015/MW-I/CR/DPR/tarsi-Nagpur 3 rd Line/New Delhi, dated 02-09-2016 के अन्तर्गत रेलवे परियोजना के अंतर्गत इटारसी-नागपुर तीसरी लाईन निर्माण के लिये भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा तीसरी रेलवे लाइन जो कि, भारत सरकार रेल मंत्रालय की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा-9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	पाण्डुर्णा	ग्राम- गढ़खापा प0ह0न-53, ब.न.-91, रा.नि.मं.- पाण्डुर्णा, तहसील- पाण्डुर्णा	रकबा 0.026 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां।	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-पाण्डुर्णा जिला छिन्दवाड़ा	भारत सरकार रेलवे मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत रेलवे परियोजना के अंतर्गत इटारसी-नागपुर तीसरी लाईन निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.chhindwara.nic.in एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-पाण्डुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा (म0प्र0) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण उप-मुख्य अभियंता (निर्माण) मध्य रेल नागपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में भी किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यकारी इंजीनियर (निर्माण) मध्य रेल नागपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में भी किया जा सकता है।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्रमांक-3464-भू-अर्जन-2019

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2. चूंकि, भारत सरकार रेल मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 2015/W-I/CR/DPR/Itarsi-Nagpur 3 rd Line/New Delhi, dated 02-09-2016 के अन्तर्गत रेल्वे परियोजना के अंतर्गत इटारसी-नागपुर तीसरी लाईन निर्माण के लिये भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा तीसरी रेलवे लाइन जो कि, भारत सरकार रेल मंत्रालय की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा-9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	पाण्डुर्णा	ग्राम-खेडीकलां प0ह0न-20, ब.न.-80, रा.नि.मं.- पाण्डुर्णा, तहसील- पाण्डुर्णा	रकबा 0.471 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां।	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-पाण्डुर्णा जिला छिन्दवाड़ा	भारत सरकार रेलवे मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत रेल्वे परियोजना के अंतर्गत इटारसी-नागपुर तीसरी लाईन निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-पाण्डुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा (म0प्र0) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण उप-मुख्य अभियंता (निर्माण) मध्य रेल नागपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में भी किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यकारी इंजीनियर (निर्माण) मध्य रेल नागपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में भी किया जा सकता है।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्रमांक-3465-भू-अर्जन-2019

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2. चूँकि, भारत सरकार रेल मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 2015/W-I/CR/DPR/Itarsi-Nagpur 3 rd Line/New Delhi, dated 02-09-2016 के अन्तर्गत रेलवे परियोजना के अंतर्गत इटारसी-नागपुर तीसरी लाईन निर्माण के लिये भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा तीसरी रेलवे लाइन जो कि, भारत सरकार रेल मंत्रालय की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा-9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	पाण्डुर्णा	ग्राम-खेडी धज्जेवार प0ह0न-50, ब.न.-82, रा.नि.मं.- पाण्डुर्णा, तहसील- पाण्डुर्णा	रकबा 0.395 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां।	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-पाण्डुर्णा जिला छिन्दवाड़ा	भारत सरकार रेलवे मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत रेलवे परियोजना के अंतर्गत इटारसी-नागपुर तीसरी लाईन निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-पाण्डुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा (म0प्र0) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण उप-मुख्य अभियंता (निर्माण) मध्य रेल नागपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में भी किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यकारी इंजीनियर (निर्माण) मध्य रेल नागपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में भी किया जा सकता है।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्रमांक-3466-भू-अर्जन-2019

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2. चूंकि, भारत सरकार रेल मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 2015/W-1/CR/DPR/Itarsi-Nagpur 3 rd Line/New Delhi, dated 02-09-2016 के अन्तर्गत रेल्वे परियोजना के अंतर्गत इटारसी-नागपुर तीसरी लाईन निर्माण के लिये भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा तीसरी रेलवे लाइन जो कि, भारत सरकार रेल मंत्रालय की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा-9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	पाण्डुर्णा	ग्राम- आजनगांव प0ह0न-50, ब.न.-08, रा.नि.मं.- पाण्डुर्णा, तहसील- पाण्डुर्णा	रकबा 0.128 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां।	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-पाण्डुर्णा जिला छिन्दवाड़ा	भारत सरकार रेलवे मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत रेल्वे परियोजना के अंतर्गत इटारसी-नागपुर तीसरी लाईन निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-पाण्डुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा (म0प्र0) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण उप-मुख्य अभियंता (निर्माण) मध्य रेल नागपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में भी किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यकारी इंजीनियर (निर्माण) मध्य रेल नागपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में भी किया जा सकता है।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्रमांक-3467-भू-अर्जन-2019

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2 चूँकि, भारत सरकार रेल मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 2015/W-I/CR/DPR/Itarsi-Nagpur 3 rd Line/New Delhi, dated 02-09-2016 के अन्तर्गत रेलवे परियोजना के अंतर्गत इटारसी-नागपुर तीसरी लाईन निर्माण के लिये भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा तीसरी रेलवे लाइन जो कि, भारत सरकार रेल मंत्रालय की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा-9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	पाण्डुर्णा	ग्राम- अम्बाड़ाखुर्द प0ह0न-60, ब.न.-02, रा.नि.म.- पाण्डुर्णा, तहसील- पाण्डुर्णा	रकबा 0.015 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां।	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-पाण्डुर्णा जिला छिन्दवाड़ा	भारत सरकार रेलवे मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत रेलवे परियोजना के अंतर्गत इटारसी-नागपुर तीसरी लाईन निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-पाण्डुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा (म0प्र0) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण उप-मुख्य अभियंता (निर्माण) मध्य रेल नागपूर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यकारी इंजीनियर (निर्माण) मध्य रेल नागपूर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्र. क्र. 44-अ-82-17-18-ब्राह्मणवाड़ा-5176

बैतूल, दिनांक 30 मई 2019

चूंकि समुचित सरकार को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि के कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमि, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जन का क्षेत्रफल(हे०में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म०प्र०)	आमला	ब्राह्मणवाड़ा	1.100	ब्राह्मणवाड़ा लघु जलाशय

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारकों की सूची)

अ०क्र०	खसरा नम्बर	रकबा हे० में से	अर्जन की भूमि का रकबा हे० में	धारक का नाम
1	2	3	4	5
1	322/1	0.141	0.056	आल्हा, लखन वल्द देवजी, सरस्वती, अम्बा, सुमित्रा, पिता देवाजी सा.देह भूमि स्वामी
2	322/2	0.709	0.056	नान्ही पिता बाबुलाल जाति पवार सा. चन्दोराखुर्द
3	323/1	0.482	0.046	मनीष वल्द नन्दलाल कायस्थ सा.देह तिरपती नगर महाराष्ट्र भूमि स्वामी
4	323/2	0.481	0.046	धुडिया उर्फ साहेबलाल वल्द खुशयाल जाति पवार सा.देह भूमि स्वामी
5	213	1.643	0.325	हेमराज वल्द रावजी, सुन्दर, शांता, नन्हिया, दुर्गा पिता रावजी पुर्णा पिता रावजी पता सा.देह भूमि स्वामी
6	214	1.327	0.116	विजय, विनोद वल्द अमीलाल, अनिता ममता पिता अमीलाल जाति गोड़ सा.देह
7	209/1	1.689	0.118	भीमराव वल्द श्यामराव जाति पवार सा. देह भूमि स्वामी
8	209/2	1.690	0.119	अर्जुन पिता श्यामराव जाति पवार सा०देह
9	208/1	1.160	0.109	अशोक वल्द आशाराम जाति भोयर सा०देह
10	208/2	1.160	0.109	मधु वल्द आशाराम जाति भोयर सा०देह
योग		10.482	1.100	

(2) चूंकि ब्राह्मणवाड़ा लघु जलाशय, हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है।

(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

प्र. क्र. 01-अ-82-18-19-बोरगांव-5187

बैतूल, दिनांक 31 मई 2019

चूंकि समुचित सरकार को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित मकान के कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमि, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित आबादी के मकानों की संख्या	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म0प्र0)	मुलताई	बोरगांव	19	पारसडोह मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र के प्रभावित मकानों का अर्जन

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारकों की सूची)

अ0क्र0	खसरा नम्बर	मकानों की संख्या	धारक का नाम
1	2	3	5
1	275	2	झापू वल्द हरिराम, कृष्णा, श्रवण, खुशरंग, कन्हैया वल्द झापू सा0देह
2	275	1	रतन वल्द अन्त्या सा0देह
3	275	1	जीवनलाल भगवन्तराव वल्द गेंदलाल सा0देह
4	275	1	मोहन वल्द तेजी सा0देह
5	275	1	जगदीश, जीवन, गोलू वल्द टंटु सा0देह
6	275	1	भोपत वल्द भूरा, पुष्पा जौजे वासुदेव सा0देह
7	275	1	माधो वल्द आत्माराम सा0देह
8	275	1	रूपलाल वल्द गोपीचन्द सा0देह
9	275	1	गोपीचन्द वल्द लालजी सा0देह
10	275	1	संभा पिता चिन्ध्या सा0देह
11	275	1	धनराज वल्द अन्त्या सा0देह
12	275	1	झनकलाल वल्द मोतीराम सा0देह
13	275	1	नामदेव वल्द गोंदू, राजेश, उमेश वल्द नामदेव, सा0देह
14	275	1	द्वारका बेवा कचरू सा0देह

15	275	1	गुलाबराव वल्द गोपीचन्द, कमलेश, देवानन्द वल्द गुलाबराव, सीमा पति देवानन्द सा.देह
16	275	1	किसन वल्द गणपति, गेंदु वल्द गणपति, जगदीश वल्द गणपति सा0देह
17	275	1	उदयराम, गजानन्द, सुरेश वल्द मोदी सा0देह
18	275	1	बसंत, धनराज वल्द मोहनलाल सा0देह
योग		19	

चूंकि पारसडोह मध्यम उद्वहन परियोजना हेतु हितबद्ध व्यक्तियों के आबादी भूमि पर स्थित मकानों का अर्जन प्रस्तावित है, उनके पुनर्वास सम्बंधी पृथक से कार्यवाही की गई ।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिक मुलताई बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तरूण कुमार पिथोड़े, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्रमांक 14-अ-82-17-18-4159

सागर, दिनांक 30 मई 2019
मौजा शिकारपुर, पट.ह.नं. 27 तहसील राहतगढ़

भू-अर्जन प्रकरण 14अ/82/17-18 में बीना परियोजनांतर्गत चकरपुर बांध निर्माण हेतु मौजा शिकारपुर पट.ह.नं.-27 तहसील राहतगढ़ जिला सागर की भूमि अर्जन हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक 22/11/2017 को प्रकाशित की गई है तथा धारा 11 के प्रकाशन की बारह मास की अवधि दिनांक 21/11/2018 को पूर्ण हो चुकी है। उक्तावधि में विधानसभा निर्वाचन 2018 की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के कारण प्रकरण में धारा 19 के तहत घोषणा का प्रकाशन नहीं किया जा सका है। अतः अधिनियम 2013 की धारा 19(7) के तहत प्रकरण में धारा 19(1) की घोषणा का प्रकाशन किये जाने हेतु बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रीति मैथिल नायक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 14-अ-82-17-18-4160

सागर, दिनांक 30 मई 2019

मौजा शिकारपुर पटवारी हल्का नं.27 तहसील राहतगढ

(देखिये धारा 19 एवं 21)

:: अधिसूचना ::

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है:-

(1) परियोजना का नाम :- बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना चकरपुर बांध

(2) भूमि का विवरण :-

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| 1. जिला | सागर |
| 2. तहसील | राहतगढ |
| 3. ग्राम | शिकारपुर |
| 4. पटवारी हल्का नं. | 27 |
| 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल | 80.280 हेक्टे. |

:: अनुसूची -01::

स.क्र.	भूमि स्वामी का नाम / पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्र.	क्षेत्रफल कुल रकवा (हेक्टे. में)	अर्जित भूमि (रकवा हेक्टे. में)		भूमि पर स्थित परिसंपत्तियां
					सिंचित	असिंचित	
1	कंचन, मनोज, विनोद पिता ज्ञानी, सविता पुत्री ज्ञानी राधा पुत्री गोरेलाल मुन्नी वेवा गोरेलाल प्रभु, हुकुम पिता जमना आशाराम पिता शंकर, कुसुमबाई हरिबाई पुत्री शंकर भगवानसींग पिता रामलाल, फुलाबाई वेवा रामलाल तिज्जा पुत्री नन्हें, मनका पिता छुट्टी जगन्नाथ पिता गुवन्दी पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	11	0.350	0.00	0.350	
		भूमि स्वामी	20/1	2.330	0.00	2.330	
2	आशाराम वल्द शंकर कुसुमबाई भूरीबाई पुत्री शंकर पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	19	3.710	0.00	3.710	बबूल 3
3	कमलसींग वल्द भगोनी पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	20/2	1.200	0.00	1.200	
4	वीरसींग औकार अशोक रामसेवक रामबाबू वकील मुनीम वल्द शोभाराम वेटीबाई वेवा शोभाराम अरुणाबाई गंगावाई पुत्री दमरू पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	25	0.320	0.00	0.320	बांसब्ररा 1
		भूमि स्वामी	27	1.500	0.00	1.500	

5	अरुणाबाई जोजे मिट्टलाल पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	26	0.730	0.00	0.730	
6	प्रकश वल्द देवी पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	28/1	0.890	0.00	0.890	
		भूमि स्वामी	28/2	1.800	0.00	1.800	
		भूमि स्वामी	30	0.100	0.00	0.100	
		भूमि स्वामी	35/1	3.420	0.00	3.420	सागोन 1 पलाश 1
7	दशरथ वल्द नंदराम पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	28/3	0.600	0.00	0.600	
8	बैजन्ती पति सरमन पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	33/1	0.600	0.00	0.600	आम 1
9	गौराबाई पति सुन्दरलाल पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	33/2	1.840	0.00	1.840	आम 1
10	राजकुमार बिनोद सुरेन्द्र पिता ईश्वरीप्रसाद गुडिया सोनाबाई पुत्री इश्वरीप्रसाद पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	33/3	1.880	0.00	1.880	आम 5
11	हिम्मतसींग वल्द जगन्नाथ पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	33/4	0.400	0.00	0.400	बैरी 2 जामुन 1 पीपल 1 गुरार 1 सागोन 4 कोहा 1 खैर 1 पलाश 1
		भूमि स्वामी	33/5	0.800	0.00	0.800	
12	रामश्री पति जगन्नाथ पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	33/6	0.840	0.00	0.840	
13	कमलसींग पिता घासीराम प्यारी बहु बेवा कनई लीलाकिशन राजकुमारी पिता बैजनाथ श्यामबाई बेवा बैजनाथ सुवेश किशोरी, कौशल, अजीत, रूपबती, चंदबती, गिरजा, राजबती पिता संदेरसींग जनकरानी बेवा संदेरसींग सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	34	3.080	0.00	3.080	बैरी 2 आम 1 पलाश 2
		भूमि स्वामी	38	0.820	0.00	0.320	जामुन 2 खजूर 1 बबूल 2 नीम 1 सागोन 2
14	तेजसींग सुन्दर छोटेलाल पिता ग्याप्रसाद सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	35/2	2.020	0.00	2.020	आम 2
15	सरमन वल्द फूलसींग पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	35/3	1.060	0.00	1.060	सागोन 1 कोहा 1 ऊमर 1
16	रामस्वरूप मुरलीधर महेश चैनसींग पिता लक्ष्मन किशन वल्द मुरली परपोत्तम वल्द रामस्वरूप पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	36	4.940	0.00	4.940	आम 2 सागोन 1
		भूमि स्वामी	40	1.070	0.00	0.050	
		भूमि स्वामी	41	0.170	0.00	0.070	पलाश 1
17	श्रीमहावीर जी स्वामी बाके मौजा देह प्रबध कलेक्टर महोदय सागर भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	52	0.080	0.00	0.080	अनार 1 केला 1
18	कालूराम पिता तुलसीराम सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	53/1	1.120	0.00	1.120	आम 1 बैरी 2 अमरुद 5 बबूल 1 खैर 1

19	चतुरसींग वल्द तुलसीराम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	53/2	1.120	0.00	1.120	अमरुद 18 महुआ 3 आम 10 बैरी 11 आवला 2 मुनगा 1 कैथ 2 नीबू 3 जामुन 1 कठहल 1 बबूल 3 पलाश 3 सागोन 1 सूलबबूल 2 गुरार 1 बेल 3
20	कम्मोद पिता अजुद्वी सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	55/1	0.040	0.00	0.040	सतकटा 1
		भूमि स्वामी	63/1	1.390	0.00	0.790	बैरी 2
21	संदेर पिता अजुद्वी सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	55/2	0.030	0.00	0.030	
22	छोटेलाल पिता कुदउ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	55/3	0.010	0.00	0.010	
		भूमि स्वामी	63/3	0.690	0.00	0.690	बबूल 1
23	मकुन्दी धरम, निरमै शिवराज पिता दुर्गाप्रसाद मीरा सरोज पुत्री दुर्गाप्रसाद गन्नीवाई वेवा दुर्गाप्रसाद सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	55/4	0.050	0.00	0.050	बहेरा 1
		भूमि स्वामी	63/4	0.690	0.00	0.690	बैरी 4 आम 3 नीबू 1 केला 1 नीम 1 बांसभरा 1
24	पूरन अमरसींग पिता जयराम कमला पुत्री जयराम सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	55/5	0.010	0.00	0.010	
25	गयाप्रसाद रामरतन पिता खुमान सुशीला वेवा खुमान सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	55/6	0.010	0.00	0.010	
		भूमि स्वामी	63/5	0.690	0.00	0.690	बैरी 2 बांसभरा 1
26	प्रभू वल्द रतनसींग सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	56/1	0.400	0.00	0.050	
27	प्रेमबाई जोजे चतुरसींग सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	56/2	0.400	0.00	0.050	
28	हरिनारायण वल्द कम्मोद गोकल वल्द संदेरसींग सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	63/2	0.730	0.00	0.730	बैरी 11 जामुन 1 आम 1 आवला 1 सूलबबूल 3 गुरार 1
29	जानकी, हरनाम पिता भावसींग सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	65	1.900	0.00	1.900	बैरी 4
30	नारायण लालसींग बलराम पिता देवचंद सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	66	0.610	0.00	0.610	बैरी 11
31	नेतराम लक्ष्मीप्रसाद विष्णुप्रसाद पिता शिवप्रसाद मु. धनकुवर वेवा शिवप्रसाद पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	67	0.590	0.00	0.590	बैरी 1 सूलबबूल 1
32	करन रघुवीर पिता हरगोविन्द्र रम्बो पुत्री हरमगोविन्द्र सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	68	0.450	0.00	0.450	आम 1 बैरी 4
33	बलराम वल्द त्रिलोकी पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	70/1	0.300	0.00	0.300	
		भूमि स्वामी	72	0.190	0.00	0.190	

34	लखन वल्द रामप्रसाद पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	70/2	1.000	0.00	1.000	
35	बाबूलाल वल्द बिहारी पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	70/3	0.520	0.00	0.520	
36	जगदीश ववलू राकेश पिता शेरसींग कपूरीबाई बेवा शेरसींग सुमत्रा ममता पुत्री शेरसींग पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	70/4	0.500	0.00	0.500	बैरी 3
37	राजाराम गुलाब बाबूलाल दौलत वलदेव पिता मोहनलाल लक्ष्मीनारायण हरिनारायण पिता सूरतसींग अशोकरानी वेवा सूरतसींग पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	74	2.740	0.00	1.420	आम 6 जामुन 1 बैरी 5
38	बलीराम मिहीलाल शंकर पिता बाबूलाल मु. यशोदाबाई बेवा बाबूलाल रामनाथ श्रीकिशन लखन रामदयाल पिता रामप्रसाद सूरजसींग नारायणसींग रामगोपाल पिता रामलाल सुमतरानी वेवा रामलाल सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	76	0.880	0.00	0.880	बैरी 2 बांसभरा 3 मकान कच्चा 1
		भूमि स्वामी	78	3.710	0.00	0.790	बैरी 1 आम 1 बांसभरा 1
39	रामस्वरूप मुरलीधर चैनसींग महेश पिता लक्ष्मन गुबन्दी पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	86/1	0.820	0.00	0.820	खजूर 2 बैरी 2 बबूल 1 पलाश 1
40	मनका बल्द छुट्टी, जगन्नाथ वल्द गुबन्दी शारदा गुलाबबाई पुत्री गुबन्दी सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	86/2	0.820	0.00	0.820	पलाश 1
41	गजराजसींग वल्द बिहारी सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	88/1	2.380	0.00	1.720	आम 4 बैरी 4 बेल 1 इमली 1 बबूल 1 बांसभरा 4 पीपल 1 मकान कच्चा 1
42	रामसींग पिता बिहारी सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	88/2	2.380	0.00	0.350	आम 1 कैथ 1 नीबू 1 सीताफल 1 पीपल 1 मकान कच्चा 1 पशुवाडा 1
43	राजाराम वल्द मोहनलाल सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	89	0.640	0.00	0.250	अमरुद 3 मकान 1
44	गुलाब वल्द मोहनलाल सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	90	0.390	0.00	0.130	मकान 1
45	बाबूलाल वल्द मोहनलाल सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	91	0.390	0.00	0.040	
46	वलदेव वल्द मोहनलाल सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	114	0.110	0.00	0.060	
47	दौलत वल्द मोहनलाल सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	115	0.110	0.00	0.050	
48	अजयसिंह वल्द रामचन्द्रसींग सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	147	0.040	0.00	0.040	
		भूमि स्वामी	148/1	0.410	0.00	0.330	
		भूमि स्वामी	154/4	1.290	0.00	1.260	बैरी 15
		भूमि स्वामी	192/1	0.190	0.00	0.060	

		भूमि स्वामी	193	0.050	0.00	0.050	
		भूमि स्वामी	194	0.130	0.00	0.130	
49	अमितसिंह वल्द रामचन्द्रसींग सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	148/2	0.440	0.00	0.260	
		भूमि स्वामी	154/3	1.350	0.750	0.000	द्यूबेल 1
		भूमि स्वामी	192/2	0.200	0.00	0.150	
50	सौरभसिंह वल्द कोमलसिंह सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	148/3	0.460	0.00	0.240	
		भूमि स्वामी	154/2	1.390	0.00	0.860	
51	रनजीतसिंह वल्द कोमलसिंह सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	148/4	0.440	0.00	0.170	
		भूमि स्वामी	152/2	0.770	0.00	0.770	
		भूमि स्वामी	154/1	1.400	0.00	0.880	
		भूमि स्वामी	156	0.150	0.00	0.080	
52	कंचन, मनोज विनोद पिता ज्ञानी सविता पुत्री ज्ञानी राधा पुत्री गोरेलाल मुन्नी वेवा गोरेलाल प्रभू हुकुम पिता जमना, आशाराम पिता शंकर, कुसुमबाई, भूरीबाई पुत्री शंकर भगवतसींग पिता रामलाल तिज्जा पुत्री नन्हे हिम्मत सुम्पू पिता मौनी पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	150	1.430	0.00	1.400	बैरी 8 खजूर 3 बबूल 4
		भूमि स्वामी	152/1	0.800	0.00	0.800	सूलबबूल 1
		भूमि स्वामी	152/3	3.150	0.00	3.150	बैरी 1 खजूर 2 मकान कच्चा 1 पशुवाडा 1
53	चैनबाबू, महेश पिता लक्ष्मण किशन वल्द मुल्ली परषोत्तम वल्द रामस्वरूप सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	153	2.680	0.00	1.550	खजूर 2 बैरी 5 अमरुद 1 इमली 2 मकान पक्का 1 पशुवाडा 1
54	रामचन्द्रसिंह पिता भैयालाल सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	192/3	0.310	0.00	0.270	बबूल 1
55	प्रतिज्ञा उर्फ ववली पुत्री किशोरी लाल सा.राहतगढ भगवानसींग रामचरन दशरथ कमल लक्ष्मण रामेश्वर पिता देवीलक्ष्मी रामवती कृष्णा सविता संध्या पुत्री देवी फुलाबाई बेवा देवी सा.रजौली भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	198	0.950	0.00	0.950	सूलबबूल 1
56	रश्मिवाला पुत्री जीवनलाल पता सा राहतगढ भूमि स्वामी भगवानसींग रामचरन दशरथ कमल लक्ष्मण, रामेश्वर, पिता देवी लक्ष्मी रामवती कृष्णा सविता संध्या पुत्री देवी फुलाबाई वेवा देवी पता सा रजौली भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	203	3.790	0.000	2.880	
57	प्रेमबाई पति मुन्नालाल पता सा राहतगढ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	207/1	1.550	0.000	1.250	बैरी 5 आवला 2 मकान कच्चा 1
58	अनवर पिता अब्दुल वहीद पता सा राहतगढ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	207/2	0.750	0.000	0.750	गुरार 1
59	मुन्नालाल वल्द दयाराम पता सा राहतगढ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	207/3	1.600	0.000	1.550	आम 2 बैरी 2 अमरुद 1

60	रमेश, वलराम पिता लच्छू पता सा राहतगढ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	207/4	3.150	0.000	2.950	बैरी 5 नीबू 5 कैथ 1 आवला 1 अमरूद 2 सागोन 23 बांस 2 पलाश 3 सेमर 1 रुसल्ला 1 सूलबबूल 2 सतकठा 1 मकान पक्का 1 पशुवाडा 1
61	अनीस वल्द मु. समसुद्दीन पता सा राहतगढ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	207/5	1.600	0.000	1.550	अमरूद 3 बैरी 4
62	लालमिया वल्द अब्दुल वहीद सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	207/6	0.800	0.000	0.800	पलाश 2 सागोन 3
कुल योग:-			90	96.63	0.750	79.530	

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान स्कीम का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुर्नवास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 01/07/19 को प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ जिला सागर एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रीति मैथिल नायक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पत्र क्र. 260-अ-82-2017-18

राजगढ़, दिनांक 30 मई 2019

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में पार्वती सिंचाई परियोजना डूब क्षेत्र से प्रभावित ग्राम तुर्कीपुरा तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ की निजी भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची-2 में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची-1 की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची :- (1)

भूमि का वर्णन

(क) जिला - राजगढ़

(ख) तहसील - नरसिंहगढ़

(ग) ग्राम - तुर्कीपुरा

(घ) क्षेत्रफल - 62.599

पार्वती सिंचाई परियोजना के एफ.टी.एल तक डूब क्षेत्र में प्रभावित भूमि ग्राम तुर्कीपुरा

स.क्र.	विवरण	भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)	
1	2	3	4
	तुर्कीपुरा	74.522	62.599
	कुल योग :-	74.522	62.599

अनुसूची :- (2)

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावित रकबा
1	2	3	4	7
1	जमनाप्रसाद पिता खानचन्द जाति घोसी निवासी ग्राम भू स्वामी	120/4/2	0.506	0.506
	योग	1	0.506	0.506
2	भगवानसिंह पिता थानसिंह कैलाशबाई बेवा थानसिंह निवासी ग्राम भू स्वामी	121/2	0.253	0.253
	योग	1	0.253	0.253
3	अमरसिंह, इमरतसिंह, कलीबाई, सुगनबाई, मगनबाई, छुटदनबाई पिता रामसिंह ललताबाई बेवा सरजनसिंह, धरमसिंह, जितेन्द्र पप्पीबाई, संगीताबाई, पिता सरजनसिंह, कलाबाई, बेवा गजराजसिंह अजयसिंह दीपाबाई पिकी बाई गोमाबाई पिता गजराजसिंह रेखाबाई ना.बा. पिता गजराजसिंह स प माता कलाबाई बेवा गजराजसिंह जाति घोषी नि.ग्रा. भू-स्वामि	123	0.557	0.557
		124	0.405	0.405
		125	1.746	1.746
	योग	3	2.708	2.708
4	सुरेश पिता केशरसिंह निवासी ग्राम भू स्वामी	154/2	0.350	0.350
	योग	1	0.350	0.350
5	रमेश पिता केशरसिंह निवासी ग्राम भू स्वामी	154/1	0.350	0.350
	योग	1	0.350	0.350
6	मदनसिंह पिता केशरसिंह निवासी ग्राम भू स्वामी	137/3	1.307	1.100
		154/3	0.350	0.350
	योग	2	1.657	1.450
7	सावित्री बाई पॉल्ड लखन सिंह जाति घोसी निवासी ग्राम भू स्वामी	139/1	0.513	0.513
	योग	1	0.513	0.513
8	सरदारसिंह पिता प्रेमसिंह जाति घोसी निवासी ग्राम भू स्वामी	144	0.557	0.557
		145	0.051	0.051
		184	0.595	0.595
	योग	3	1.203	1.203

9	भारतसिंह पिता धूलजी जाति घोसी पता तुर्कीपुरा नरसिंहगढ जिला राजगढ म.प्र. 1/2 भाग सोदरीबाईयोसबाई गीताबाई कलीबाई पिता धूलजी मिश्रीलाल बेवा धूलजी जाति घोसी पता तुर्कीपुरा नरसिंहगढ जिला राजगढ म.प्र. 1/2 भाग	150	0.392	0.392
		182/1/1	0.260	0.260
	योग	2	0.652	0.652
10	कम्पुबाई पति रमेश बाबु निवासी ग्राम भू स्वामी	153/1	0.025	0.025
		200/1	2.331	0.450
	योग	2	2.356	0.475
11	भवरी बाई पति सुरेश बाबु निवासी ग्राम भू स्वामी	153/2	0.025	0.025
		200/2	2.331	0.450
	योग	2	2.356	0.475
12	ममताबाई पति मदनसिंह निवासी ग्राम भू स्वामी	153/3	0.026	0.026
		200/3	2.330	0.450
	योग	2	2.356	0.476
13	सिंहनाथसिंह पिता धूलजी जाति घोसी निवासी ग्राम भू स्वामी	155/1	0.481	0.481
		योग	1	0.481
14	पालम मोटस लिमिटेड द्वारा दिनेश कुमार पिता रामेश्वर निवासी ग्राम भू स्वामी	156/1/1/1	0.098	0.098
		190/2	0.253	0.253
	योग	2	0.351	0.351
15	सोदान सिंह पिता सिंहनाथ सिंह जाति घोसी निवासी ग्राम भू स्वामी	156/1/1/2	0.506	0.506
		योग	1	0.506
16	रुग्नाथसिंह पिता जगराम जाति घोसी निवासी ग्राम भू स्वामी	158/2	0.639	0.639
		159/2	1.436	1.436
		160/2	0.253	0.253
		173/1	0.108	0.108
	योग	4	2.436	2.436
17	मंगलसिंह पिता कनीराम निवासी ग्राम भू स्वामी	161	1.442	1.442
		172/1	0.165	0.165
		172/3	0.164	0.164
	योग	3	1.771	1.771
18	दिनेश कुमार पिता हरिसिंह निवासी ग्राम भू स्वामी	164/1/2/1	0.342	0.270
		योग	1	0.342
19	ललताबाई पति प्रेमसिंह जाति घोसी निवासी ग्राम भू स्वामी	164/1/2/2	0.253	0.180
		165/1/1	0.633	0.110
	योग	2	0.886	0.290
20	विक्रमसिंह पिता धूलजी निवासी ग्राम भू स्वामी	166/1	0.974	0.974
		योग	1	0.974
21	लक्ष्मीनारायण पिता धूलजी निवासी ग्राम भू स्वामी	166/2	0.973	0.973
		182/1/3	0.030	0.030
	योग	2	1.003	1.003
22	चन्गरसिंह पिता बनेसिंह जाति घोसी निवासी ग्राम भू स्वामी	167/2	0.165	0.165
		योग	1	0.165
23	रूपसिंह पिता मोहनलाल निवासी ग्राम भू स्वामी	174/1	0.379	0.379
		योग	1	0.379
24	सुरेशकुमार पिता पर्वतसिंह जाति घोसी निवासी ग्राम भू स्वामी	174/2	0.379	0.379
		174/4	0.380	0.380
	योग	2	0.759	0.759
25	जसवतसिंह पिता मंगलसिंह निवासी ग्राम भू स्वामी	174/3	0.380	0.380
		योग	1	0.380
26	देवकरण पिता कमलसिंह निवासी ग्राम भू स्वामी	175	2.782	2.782
		176	0.164	0.164
		177	0.810	0.750
		178	0.253	0.253
	योग	4	4.009	3.949
27	सुरजसिंह पिता धनासिंह निवासी ग्राम भू स्वामी	180	1.101	1.101
		योग	1	1.101
28	प्रेमसिंह पिता बापुसिंह जाति घोसी निवासी ग्राम भू स्वामी	181/2	0.225	0.225
		191/2/2/2	0.041	0.041
	योग	2	0.266	0.266
29	कामुबाई बेवा मोहनलाल निवासी ग्राम भू स्वामी	185	1.138	1.138
		योग	1	1.138
30	गाविन्दसिंह दत्तक पुत्र लाडसिंह निवासी ग्राम भू स्वामी	189/1	0.315	0.315
		योग	1	0.315

31	गंभीरसिंह दत्तक पुत्र लाडसिंह ना.बा. सुन्दरबाई निवासी ग्राम भू स्वामी	189/2	0.317	0.317
	योग	1	0.317	0.317
32	पार्वतीबाई बेवा बनीसिंह निवासी ग्राम भू स्वामी	191/1/2	0.158	0.158
	योग	1	0.158	0.158
33	दोलत सिंह पिता नन्नुलाल जाति राजपूत निवासी ग्राम भू स्वामी	192/1	0.253	0.253
	योग	1	0.253	0.253
34	राजेंद्रसिंह पिता हरिसिंह निवासी ग्राम भू स्वामी	192/1/1	0.253	0.253
	योग	1	0.253	0.253
35	नरबद सिंह घनोसिंह पिता कालूराम जाति भोई निवासी ग्राम भू स्वामी	195/3/1	1.011	1.011
	योग	1	1.011	1.011
36	रुकमणी बाई पाते चंन सिंह जाति भोई निवासी ग्राम भू स्वामी	195/3/2/1	0.379	0.379
	योग	1	0.379	0.379
37	निमलाबाई पति नरबदासिंह जाति भोई निवासी ग्राम भू स्वामी	195/3/2/2/1	0.380	0.380
	योग	1	0.380	0.380
38	केसरसिंह पिता खेमचन्द्र निवासी ग्राम भू स्वामी	253/1	0.379	0.060
	योग	199/1	1.341	0.200
	योग	2	1.720	0.260
39	गोरिलाल पिता नाथूलाल जाति बजारा निवासी ग्राम भू स्वामी	253/2	0.506	0.060
	योग	1	0.506	0.060
40	लाडसिंह पिता रामचन्द्र जाति भोई निवासी ग्राम भू स्वामी	255/2	0.369	0.369
	योग	1	0.369	0.369
41	घादखी पिता अल्लाबख्त जाति मुसलमान निवासी ग्राम भू स्वामी	256/1	0.277	0.277
	योग	1	0.277	0.277
42	देवजी पिता रामचन्द्र जाति भोई पता निवासी ग्राम भू स्वामी	256/3	0.277	0.277
	योग	1	0.277	0.277
43	कलीबाई गोकुलबाई पिता केशरसिंह धापूबाई बेवा केशरसिंह जाति घोसी पता तुर्कीपुरा नरसिंहगढ जिला राजगढ म.प्र.	172/2	0.164	0.164
	योग	1	0.164	0.164
44	धरमसिंह जितेन्द्र पिता सरजनसिंह जाति घोसी निवासी राजगढ म.प्र. ग्राम भू-स्वामि	120/1	0.702	0.032
	योग	127/5	0.506	0.506
	योग	2	1.208	0.538
45	अजयसिंह पिता गजराजसिंह जाति घोसी निवासी तुर्कीपुरा राजगढ म.प्र. ग्राम भू-स्वामि	120/2	0.702	0.702
	योग	127/6	0.506	0.506
	योग	2	1.208	1.208
46	इमरतसिंह पिता रामसिंह निवासी ग्राम भू स्वामी	120/3	0.702	0.702
	योग	127/3	0.342	0.042
	योग	127/7	0.506	0.506
	योग	3	1.550	1.250
47	गजराजसिंह पिता बापूसिंह निवासी ग्राम भू स्वामी	146	1.113	1.113
	योग	164/1/1	0.240	0.120
	योग	164/2/2	0.209	0.180
	योग	181/1	0.232	0.232
	योग	182/2	0.342	0.342
	योग	191/2/2/1	0.041	0.041
	योग	6	2.177	2.028
48	अमरसिंह पिता रामसिंह निवासी ग्राम भू स्वामी	120/4/1	0.195	0.195
	योग	127/4	0.341	0.341
	योग	127/8	0.506	0.506
	योग	3	1.042	1.042
49	अमरसिंह पिता केशरसिंह जाति घोसी पता तुर्कीपुरा नरसिंहगढ जिला राजगढ म.प्र.	172/4/1	0.082	0.082
	योग	183/1/1	0.342	0.342
	योग	193/1/1/1	0.737	0.737
	योग	194/2/1	0.171	0.171
	योग	196/2/2/1	0.240	0.240
	योग	5	1.572	1.572

50	हरिसिंह पिता मुकुन्द निवासी ग्राम भू स्वामी	121/1	0.253	0.253
		156/1/2	0.604	0.604
		157/1	0.184	0.184
		191/2/1	0.165	0.165
	योग	4	1.206	1.206
51	रामसिंह पिता बापूसिंह जाति घोसी निवासी ग्राम भू स्वामी	151/2	0.019	0.019
		152/2	0.367	0.367
		156/2/1	0.603	0.603
		157/2/1	0.096	0.096
		181/3	0.078	0.078
		191/2/2/3	0.041	0.041
		198/1	0.202	0.077
		139/2	0.512	0.512
	योग	8	1.918	1.793
52	नबीबाई पत्नि समंदरसिंह जाति धोबी निवासी ग्राम भू स्वामी	136	2.301	0.733
		142	0.076	0.076
		187	0.455	0.455
		188	0.152	0.152
		190/1	0.379	0.379
	योग	5	3.363	1.795
53	जसवन्तसिंह पिता मोतीसिंह जाति घोसी निवासी ग्राम भू स्वामी	140	0.670	0.670
		141/3	0.076	0.076
		195/1/2	0.168	0.168
	योग	3	0.914	0.914
54	जसवन्तसिंह पिता बनेसिंह निवासी ग्राम भू स्वामी	167/1	0.164	0.164
		251/1	0.013	0.013
		195/2	0.506	0.506
		196/1	1.682	1.682
	योग	4	2.365	2.365
55	देवीसिंह पिता मोतीसिंह जाति घोसी निवासी ग्राम भू स्वामी	141/1	0.038	0.038
		148/1	0.240	0.240
		149	0.468	0.468
		195/1/3	0.169	0.169
	योग	4	0.915	0.915
56	देवीसिंह पिता मंगलसिंह जाति घोसी निवासी ग्राम भू स्वामी	183/2	0.379	0.379
		193/2/1	0.698	0.698
		194/1/2	0.170	0.170
		196/2/1/1	0.297	0.297
		196/3	0.164	0.164
	योग	5	1.708	1.708
57	समन्दरसिंह पिता मोतीसिंह निवासी ग्राम भू स्वामी	141/2	0.430	0.430
		148/2	0.317	0.317
		195/1/1	0.169	0.169
	योग	3	0.916	0.916
58	जीवनसिंह पिता प्रेमसिंह निवासी ग्राम भू स्वामी	147	0.506	0.506
		164/2/1	0.208	0.108
		165/2/3	0.316	0.100
	योग	3	1.030	0.714
59	भारत सिंह पिता धुल जी जाति घोसी निवासी ग्राम भू स्वामी	151/1	0.019	0.019
		152/1	0.367	0.367
		186	0.405	0.405
		192/2	0.443	0.443
		182/1/2	0.029	0.029
	योग	5	1.263	1.263
60	लखनसिंह पिता बापूसिंह निवासी ग्राम भू स्वामी	156/2/2	0.604	0.604
		157/2/2	0.097	0.097
		181/4	0.123	0.123
		191/2/2/4	0.041	0.041
		196/2/3	0.443	0.443
		198/2	0.203	0.077
	योग	6	1.511	1.385
61	लाडकुंवर पत्नि कमलसिंह जाति घोसी निवासी ग्राम भू स्वामी	158/1/1	0.319	0.319
		159/1/1	0.717	0.717
		173/2	0.107	0.107
	योग	3	1.143	1.143

62	सजनसिंह पिता सिदनाथसिंह जाति घोसी निवासी ग्राम भू स्वामी	158/1/2	0.160	0.160
		159/1/2	0.359	0.359
		160/1/1	0.126	0.126
	योग	3	0.645	0.645
63	खुमानसिंह पिता सिदनाथ जाति घोसी निवासी ग्राम भू स्वामी	158/1/3	0.160	0.160
		159/1/3	0.359	0.359
		160/1/2	0.127	0.127
	योग	3	0.646	0.646
64	गोपालसिंह पिता माधीसिंह निवासी ग्राम भू स्वामी	168/1	0.334	0.334
		योग	1	0.334
65	भेरूसिंह पिता मंगलसिंह जाति घोसी निवासी ग्राम भू स्वामी	193/2/2	1.079	1.079
		194/1/1	0.171	0.171
		196/2/1/2	0.462	0.462
		योग	3	1.712
66	राहुल पिता मोड़सिंह निवासी ग्राम भू-स्वामि	138/2/1	0.130	0.065
		168/2/1	0.168	0.168
		169/2/1	0.256	0.256
		170/2/1	0.461	0.461
	योग	4	1.015	0.950
67	रोहित पिता मोड़सिंह जाति निवासी ग्राम भू-स्वामि	138/2/2	0.098	0.085
		168/2/2	0.168	0.168
		169/2/2	0.257	0.257
		170/2/2	0.409	0.409
		योग	171	0.051
	योग	5	0.983	0.970
68	जुगराजसिंह पिता गोपालसिंह निवासी ग्राम भू-स्वामि	169/1/2	0.145	0.145
		170/1/2	0.200	0.200
	योग	2	0.345	0.345
69	मानसिंह पिता गोपालसिंह निवासी ग्राम भू-स्वामि	169/1/3	0.155	0.155
		170/1/3	0.200	0.200
	योग	2	0.355	0.355
70	राजेन्द्रसिंह पिता गोपालसिंह निवासी ग्राम भू-स्वामि	169/1/1	0.146	0.146
		170/1/1	0.200	0.200
	योग	2	0.346	0.346
71	शिवनारायण पिता गोपालसिंह निवासी ग्राम भू-स्वामि	138/1/2	0.114	0.006
		169/1/4	0.154	0.154
		170/1/4	0.200	0.200
	योग	3	0.468	0.360
72	पुष्पद सोनी पत्नि ओमप्रकाश पता निवासी कुरावर भू-स्वामि	195/3/2/2/2	0.253	0.253
		योग	1	0.253
73	देवीसिंह पिता मोतीलाल जाति घोषी निवासी ग्राम भू स्वामी	155/2	0.253	0.253
		योग	1	0.253
74	मूलचन्द पिता केशरसिंह जाति घोषी पता तुर्कीपुरा नरसिंहगढ जिला राजगढ म.प्र.	172/4/2	0.083	0.083
		183/1/2	0.342	0.342
		193/1/1/2	0.736	0.736
		194/2/2	0.171	0.171
		196/2/2/2	0.240	0.240
	योग	5	1.572	1.572
	महायोग		74.522	62.599

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) नरसिंहगढ तहसील नरसिंहगढ जिला राजगढ के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 272-भू-अर्जन-2019

राजगढ़, दिनांक 31 मई 2019

(अंतर्गत धारा - 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में झरन्या जलाशय तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ झरन्या जलाशय निर्माण के डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

क्रं.	विवरण	
	निजी भूमि झरन्या जलाशय के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)
1	ग्राम-झरन्या की भूमि	3.470
2	ग्राम-लखोनी की भूमि	0.572
	योग	4.042

(1) झरन्या तालाब के ग्राम झरन्या की निजी भूमि प्रभावित होने से

क्रं.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
1	हरकचन्द पिता प्यारंजी भील	1/12/24	0.500	0.334
2	जगदीश पिता कंवरलाल भील	1/12/25	0.500	0.250
3	प्यारा,कान्हा,देव्या पिता श्रीया लोधा	15	0.874	0.400
		21	0.368	0.368
		23	0.101	0.101
		32	0.292	0.012
	योग	4	1.635	0.881
4	रामरतन,सरदार सिंह रायसिंह पिता भंवरलाल ना वा. स.प. माता गुलाबबाई बेवा भंवरलाल बा. बरजी बेवा देवसिंह	18	0.049	0.049
		19	0.672	0.672
	योग	2	0.721	0.721

5	मांगीलाल पिता भवरलाल अमरी, कंची पुत्रिया भवरलाल जमनी बेवा भवरलाल, अमरा, उम्मेद पिता रत्ता केशर पुत्री रत्ता मु.रूपा बेवा रत्ता	22	0.328	0.328
		24	0.125	0.125
	योग	2	0.453	0.453
6	रामसिंह पिता गोपीलाल पुरीबाई पुत्री गोपीलाल मु.कवरी बेवा गोपीलाल चम्पा पिता बापूलाल, रतनलाल पिता बापूलाल, राधी, बाबरी, गोरा, पिता रोडा संतरा पिता परसा लोडा	25/1	0.074	0.074
		25/3	0.146	0.146
	योग	2	0.220	0.220
7	रामसिंह, फोजी, धीसा, किशना, अमरसिंह पिता नंदा काली बेवा नन्दा, खीमा, तुलसा, पांचा पिता देव्या, दयाराम, देवीलाल, मदनलाल, नानुराम, फुलचन्द पिता उंकार नानीबाई बेवा उंकार	25/2	0.221	0.221
8	रामा पिता रोडा चमार	47 47/380 14,48/380 100	0.380	0.200
9	पुरीलाल, गिरधारी कंवरलाल पिता मांग्या मु. भुरीबाई बेवा मांग्या अमरसिंह पिता गोपीलाल मु. पुरीबाई बेवा गोपीलाल लोडा	1/43/1	0.095	0.095
10	अमरसिंह पिता गोपीलाल मु. पुरीबाई गोपीलाल लोडा नि. सेदरी	1/43/2	0.095	0.095
	योग	16	4.820	3.470

(2) झरन्या तालाब के ग्राम लखोनी की निजी भूमि प्रभावित होने से

क्र.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
11	गिरधारी पिता किशोर लोडा	299/174 62	0.113 0.785	0.113 0.232
	योग	2	0.898	0.345
12	प्रभु, मोडसिंह, रूपजी पिता भवरिया ग्यारसीबाई धापुबाई, केशर, कंवरीबाई पुत्री भंवरीबाई राधेश्याम, पूरया पिता हरला मु. जमनी बेवा हरला लोडा	255/174	0.227	0.227
	योग	1	0.227	0.227
	योग	3	1.125	0.572
	महा योग	19	5.945	4.042

नोट :- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू-अर्जन अधिकारी खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 274-अ-82-2016-17

अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में मोहनपुरा वृहद्ध सिंचाई परियोजना तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ की ग्राम बख्तावरपुरा के लिये डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वेकमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यहा घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

-:अनुसूची:-

मोहनपुरा वृहद्ध सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि ग्राम बख्तावरपुरा

क्रमांक	प्रभावित कृषक का नाम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावित रकबा
1	2	3	4	5
1	रतीराम पिता बापूलाल जाति रूवाला नि.ग्रा. भूस्वामी	13/1	0.076	0.076
		12/1	0.355	0.175
		2/1	0.612	0.250
2	रेवाराम पिता बापूलाल जाति रूवाला नि.ग्रा. भूस्वामी	13/2	0.039	0.039
		2/2	0.305	0.137
3	बद्रीलाल पिता बापूलाल जाति रूवाला नि.ग्रा. भूस्वामी	13/3	0.277	0.277
		2/3	0.235	0.050
		4/1	0.565	0.335
योग:-ग्राम बख्तावरपुरा		किता-8	2.461	1.339

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र.-ए-358

(अंतर्गत धारा - 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में गणेशपुरा (भोजपुर) जलाशय तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के गणेशपुरा (भोजपुर) जलाशय निर्माण के डूब क्षेत्र, पाल एवं वेस्टवियर में प्रभावित होने से पूरक प्रकरण में आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषक व सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

क्र.	गणेशपुरा (भोजपुर) जलाशय	तहसील - खिलचीपुर	जिला राजगढ़
क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)	
	निजी भूमि गणेशपुरा (भोजपुर) जलाशय के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से		
1	ग्राम-गणेशपुरा की भूमि	5.671	
2	ग्राम-भोजपुर की भूमि	0.197	
	योग	5.868	

अनुसूची (2)

(2) गणेशपुरा (भोजपुर) जलाशय में ग्राम गणेशपुरा की निजी भूमि प्रभावित होने से पूरक प्रकरण

ग्राम - गणेशपुरा	तहसील - खिलचीपुर		जिला राजगढ़	
क्र.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
1	कंवरलाल, प्यारसिंह आ. कनीराम जाति लोडा नि ग्राम भू स्वामी	41	0.025	0.025
	योग	1	0.025	0.025
2	मु. पार्वतीबाई दल्लूबाई बेवा कंवरलाल रामलाल, कालू मोरसिंह छगलसिंह पिता कंवरलाल जाति लोडा नि ग्राम भूस्वामी	39/62/1	0.214	0.214
	योग	1	0.214	0.214
3	नाराणसिंह पिता भैरूलाल जाति लोडा नि ग्राम भूस्वामी	39/5/1	1.123	1.123
	योग	39/57	0.821	0.821
	योग	2	1.944	1.944
4	हिरालाल, पिता गेंदा जाति लोडा नि ग्राम भू स्वामी	39/8/1	2.023	0.253
	योग	1	2.023	0.253

क्रं.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
5	विजेसिंह आ. भंवरलाल जाति लोडा नि ग्राम भू स्वामी	39/21/1	2.023	2.023
		42	0.012	0.012
	योग	2	2.035	2.035
6	लालसिंह पिता विजेसिंह जाति लोडा नि ग्राम भू स्वामी	39/21/2/2	0.253	0.253
	योग	1	0.253	0.253
7	करणसिंह प्रेमसिंह भगवानसिंह पिता बापूलाल जाति लोडा नि ग्राम भूस्वामी	39/21/2/1	0.253	0.253
	योग	1	0.253	0.253
8	देवबाई बैवा भंवरलाल जाति लोडा नि ग्राम भू स्वामी	39/109	0.202	0.202
	योग	1	0.202	0.202
9	भेरूलाल पिता भंवरलाल जाति लोडा नि ग्राम भू स्वामी	39/97	0.239	0.239
	योग	1	0.239	0.239
10	कुका पिता घीसा जाति चमार नि.ग्रा.भोजपुर	39/38	1.481	0.253
	योग	1	1.481	0.253
	कुल योग	12	6.899	5.671

(3) गणेशपुरा (भोजपुर) जलाशय में ग्राम भोजपुर की निजी भूमि प्रभावित होने से पूरक प्रकरण

ग्राम - भोजपुर	तहसील - खिलचीपुर	जिला राजगढ़
1 करणसिंह पिता बापूलाल रंगलाल पिता मोतीलाल जाति लोडा नि.ग्रा. गणेशपुरा	1030/2/1	0.197
योग	1	0.197
कुल योग	13	7.096

नोट :- भूमि के नक्शे एवं प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू-अर्जन अधिकारी खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 359

(अंतर्गत धारा-19 भूमि भूमि अर्जन , पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013)			
चूँकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में कुण्डालिया वृहद परियोजना तहसील सारंगपुर जिला राजगढ़ की ग्राम कडलावद के लिये डूब में प्रभावित मकानों हेतु आवश्यक वर्णित निजी मकानों जिनका कृषकवार व मकान क्रमांक वार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है।			
अतः भवन अर्जन , पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता हैं			
ग्राम :- कडलावद		तहसील - सारंगपुर	जिला राजगढ़
क्र.	विवरण	अर्जित किये जाने वाले मकान का क्षेत्र (वर्ग मी.)	
1	निजी मकान 1. कुण्डालिया बॉध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से	202.030	
	योग	202.030	
अनुसूची (2)			
(1) कुण्डालिया बॉध परियोजना में प्रभावित होने से			
	कृषक का नाम/पिता का नाम	मकान नं.	अर्जित किये जाने वाले मकान का क्षेत्र (वर्ग मी.)
1	2	3	4
1	नन्दकिशोर पिता शिवनारायण जाति जैन	327/1	77.930
	योग		77.930
2	देवीसिंह पिता हरिसिंह जाति गुर्जर	147/1 148/1	62.050
	योग		62.050
3	कविता पिता हरिसिंह जाति गुर्जर	147/2 148/2	62.050
	योग		62.050
	योग		202.030

नोट :- भवन के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू - अर्जन अधिकारी सारंगपुर कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र क्रमांक 379-अ-82-2017-18

राजगढ़, दिनांक 1 जून 2019

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में पार्वती सिंचाई परियोजना डूब क्षेत्र से प्रभावित ग्राम गेंहूखेडीकलां तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ की निजी भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची-2 में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची-1 की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची :- (1)

भूमि का वर्णन

(क) जिला - राजगढ़

(ख) तहसील - नरसिंहगढ़

(ग) ग्राम - गेंहूखेडीकलां

(घ) क्षेत्रफल - 7.360

पार्वती सिंचाई परियोजना के एफ.टी.एल तक डूब क्षेत्र में प्रभावित भूमि ग्राम गेंहूखेडीकलां

स.क.	विवरण	भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)	
		3	4
1	2		
	गेंहूखेडी कलां	15.480	7.360
	कुल योग :-	15.480	7.360

अनुसूची :- (2)

स.क.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	योग
1	2	3	4	5	6	7
1	सुलेमान खा पिता करामत खा जाति मेवाती निवासी ग्राम भू स्वामी	151	0.683	0.090	0.000	0.090
	योग	1	0.683	0.090	0.000	0.090
2	रामप्रसाद पिता प्रभूलाल जाति चमार निवासी ग्राम भू स्वामी	161/3	0.367	0.000	0.065	0.065
	योग	1	0.367	0.000	0.065	0.065
3	जगदीश पिता मदनलाल जाति चमार निवासी ग्राम भू स्वामी	161/4	0.366	0.000	0.100	0.100
	योग	1	0.366	0.000	0.100	0.100
4	केलाश पिता बटूलाल जाति चमार निवासी ग्राम भू स्वामी	161/5	0.366	0.000	0.200	0.200
	योग	1	0.366	0.000	0.200	0.200
5	अबदुल रहीम पिता करामतखा वगैरह निवासी ग्राम भू स्वामी	173/1	3.541	0.000	0.760	0.760
	योग	1	3.541	0.000	0.760	0.760
6	ताजवी पीते अबदुल रहमान जाति मेवाती निवासी ग्राम भू स्वामी	176/4	1.265	0.125	0.000	0.125
	योग	1	1.265	0.125	0.000	0.125
7	विष्णु पिता प्रभूलाल चमार जाति चमार निवासी ग्राम भू स्वामी	176/1/4	0.500	0.000	0.030	0.030
	योग	1	0.500	0.000	0.030	0.030
8	बिहारी पिता गणपत जाति चमार निवासी ग्राम भू स्वामी	176/1/7	0.300	0.000	0.150	0.150
	योग	1	0.300	0.000	0.150	0.150
9	बशीर पिता गणपत जाति चमार निवासी ग्राम भू स्वामी	176/1/8	0.300	0.000	0.300	0.300
	योग	1	0.300	0.000	0.300	0.300

10	दाउद खों पिता करामत खों जाति मेवाती पता निवासी ग्राम भू-स्वामि	159/1/1	0.102	0.000	0.007	0.007
	योग	1	0.102	0.000	0.007	0.007
11	जहागीर खों शहबुद्दीन खों पिता रसूल खों 70 पै नौसाद खों काले खों पिता शमशुद्दीन खों रुखसाना बी अपसाना बी गुडडी बी ना बा पिता शमशुद्दीन खों सर माता मु कल्ली बी देवा शमशुद्दीन 30 पै जाति मेवाती पता निवासी ग्राम भू-स्वामि	176/2/2	1.240	0.000	1.240	1.240
	योग	1	1.240	0.000	1.240	1.240
12	बंशीलाल बिहारीलाल पिता गणपत जाति चमार पता निवासी ग्राम भू-स्वामि	176/5	1.265	0.000	1.265	1.265
	योग	1	1.265	0.000	1.265	1.265
13	गोराबाई पत्नि बंशीलाल राधेश्याम ना. बा. सर. पिता बंशीलाल पिता गणपत जाति चमार पता निवासी ग्राम भू-स्वामि	176/6	1.265	0.000	0.910	0.910
	योग	1	1.265	0.000	0.910	0.910
14	देवीसिंह पिता गोरिया जाति चमार पता निवासी ग्राम भू-स्वामि	176/7	1.265	0.000	0.400	0.400
	योग	1	1.265	0.000	0.400	0.400
15	दलशेर खों पिता इसब खों जाति मेवाती पता नि ग्राम भूमि स्वामी	176/8/1/1	0.304	0.000	0.050	0.050
		202/176/1	0.032	0.000	0.032	0.032
	योग	2	0.336	0.000	0.082	0.082
16	इस्माइल खों पिता शकूर खों जाति मेवाती पता नि ग्राम भूमि स्वामी	176/8/1/2	0.126	0.000	0.050	0.050
		202/176/2	0.063	0.000	0.063	0.063
	योग	2	0.189	0.000	0.113	0.113
17	हबीब खों पिता ईसब खों जाति मेवाती पता नि ग्राम भूमि स्वामी	176/8/1/3	0.380	0.000	0.050	0.050
		202/176/3	0.031	0.000	0.031	0.031
	योग	2	0.411	0.000	0.081	0.081
18	कदीर खों पिता अब्दुलरहमान खों जाति मेवाती पता नि ग्राम भूमि स्वामी	176/8/2/1	0.085	0.000	0.085	0.085
	योग	1	0.085	0.000	0.085	0.085
19	तैयब खों पिता नहार खों जाति मेवाती पता नि ग्राम भूमि स्वामी	176/8/2/2	0.084	0.000	0.084	0.084
	योग	1	0.084	0.000	0.084	0.084
20	वकील खों पिता मजीद खों, जेतूनबाई बेवा मजीद खाँ जाति मेवाती पता नि ग्राम भूमि स्वामी	176/8/2/3	0.084	0.000	0.084	0.084
	योग	1	0.084	0.000	0.084	0.084
21	शरीफ खों पिता पीर खों जाति मेवाती पता नि ग्राम भूमि स्वामी	207/146	0.177	0.000	0.060	0.060
	योग	1	0.177	0.000	0.060	0.060
22	नौसाद खों पिता शमशुद्दीन खों जाति मेवाती पता निवासी ग्राम गेहूखेडी कलां भू-स्वामि	176/2/1	1.289	0.000	1.129	1.129
	योग	1	1.289	0.000	1.129	1.129
	महायोग		15.480	0.215	7.145	7.360

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) नरसिंहगढ तहसील नरसिंहगढ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 381-भू-अर्जन-2019

अनुसूची (1)

(अंतर्गत धारा - 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में भगोरी जलाशय तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ निर्माण के डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (2)**भगोरी जलाशय****तहसील - जीरापुर**

क्रं.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)
	निजी भूमि भगोरी जलाशय के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से	
1	ग्राम-भगोरी की भूमि	31.090
	योग	31.090

अनुसूची (2)

(1) भगोरी जलाशय में ग्राम भगोरी की निजी भूमि प्रभावित होने से

क.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम एवं जाति	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
1	मांगीलाल पिता देवजी गुर्जर नि.ग्राम भूमि स्वामी	243/1	0.728	0.400
		244/1	0.222	0.100
2	बाल सिंह पिता देवजी गुर्जर नि. ग्राम भूमि स्वामी	244/2	0.863	0.300
		249/3/1	1.038	1.038
3	छगनसिंह पिता देवजी गुर्जर नि. ग्राम भूमि स्वामी	245	0.571	0.571
		249/3/2	0.379	0.180

क.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम एवं जाति	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
4	गोपाल मांगीबाई पिता सीताराम उर्फ छीता जानीबाई विधवा छीताराम उर्फ सीताराम जाति-चमार, नि.ग्राम भूमि स्वामी	246	2.821	0.400
5	देवीलाल पिता सीताराम जाति ब्राह्मण, नि.ग्राम भूमि स्वामी	249/4/1	2.057	2.057
		272/1	0.051	0.051
		275/1	0.617	0.617
		276/1	0.414	0.414
6	रामनारायण, कृष्णाबाई आ० विष्णु भगवतीबाई पिता सीताराम जाति-ब्राह्मण, नि.ग्राम भूमि स्वामी	249/4/2	2.057	2.057
		272/2	0.051	0.051
		275/2/1	0.148	0.148
		276/2/1	0.314	0.314
7	बबलीबाई विधवा बद्रीलाल खुशबू, महक, राधा तीनों नाबालिक सर माता बबलीबाई दिनेश, लीलाबाई पिता रामेश्वर श्यामाबाई विधवा लक्ष्मीनारायण ज्योतिबाई नाबालिक पिता लक्ष्मीनारायण सर माता श्यामाबाई विधवा लक्ष्मीनारायण जाति-ब्राह्मण नि.ग्राम भूमि स्वामी	272/3	0.052	0.052
		275/3	0.617	0.617
		276/3	0.414	0.414
8	गंगाराम ऊदा नानूराम पिता पूराजी, जाति-काछी नि.ग्राम भूमि स्वामी	249/5	1.862	0.900
		249/6/1	3.820	0.300
9	लक्ष्मीनारायण पि. बापूलाल गुर्जर नि.ग्राम भूमि स्वामी	249/10	4.047	1.000
10	ऊदा पिता लक्ष्मण जाति-गुर्जर नि.ग्राम भूमि स्वामी	249/8/2	2.023	2.023
		249/14	4.047	4.047
11	मांगीलाल पिता परथीसिंह जाति गुर्जर नि.ग्राम भूमि स्वामी	249/17	2.000	1.000
12	नारायणसिंह पिता परथीसिंह जाति-गुर्जर, नि.ग्राम भूमि स्वामी	257/3	2.023	2.023
13	गीताबाई वि. सुरेन्द्रसिंह जाति-गुर्जर नि.ग्राम भूमि स्वामी	268	0.506	0.506
		269	0.470	0.470
		270	0.121	0.121
		271	0.405	0.405
		273	2.569	1.250
14	जितेन्द्रसिंह पिता सुरेन्द्रसिंह, जाति-गुर्जर नि. ग्राम भूमि स्वामी	274/1	0.392	0.200
15	विक्रमसिंह पिता सुरेन्द्र सिंह जाति-गुर्जर नि.ग्राम भूमि स्वामी	278	0.486	0.486

क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम एवं जाति	खसरा क्र.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
16	यशवन्तसिंह पिता नाथूलाल, जाति-गुर्जर नि.ग्राम भूमि स्वामी	274/2	0.846	0.700
		284/2	0.154	0.154
17	नन्दूबाई बेवा रतनलाल मोहनलाल, इन्दरसिंह पिता रतनलाल, सरोजबाई, सन्तोषबाई पिता रतनलाल जाति गुर्जर नि.ग्राम भूमि स्वामी	277	0.344	0.344
		279	0.466	0.466
		280/1	0.533	0.533
18	रामबाबू गंगाप्रसाद पिता देवीलाल जाति ब्राह्मण, नि.ग्रा. भूमि स्वामी	249/4/4	0.686	0.686
		276/2/2	0.100	0.100
19	कंवरलाल पिता लक्ष्मण जाति गुर्जर नि.ग्राम भूमि स्वामी	257/1/2	1.000	1.000
20	श्रीनाथ, बजरंग, रामप्रसाद पिता मांगीलाल जाति काछी निवासी ग्राम भूमि स्वामी	249/4/3/1	0.685	0.685
		249/4/3/2	0.685	0.685
21	मांगीलाल पिता घीसालाल जाति सौन्ध्या निवासी ग्राम भूमि स्वामी भूमि स्वामी	249/9/2	2.000	0.256
22	मांगीलाल, नानूराम, हीरालाल, कस्तूरी बाई पिता कंवरलाल जाति चमार निवासी ग्राम डोंगर गाँव तह. सुसनेर भूमि स्वामी	249/8/1	6.070	0.075
23	घीसा पिता भवरिया जाति चमार निवासी ग्राम भूमि स्वामी	257/4	2.023	0.366
24	शफीनाबाई पत्नि करीम खाँ जाति पिंजारा पता निवासी भगोरा भूमि स्वामी	257/1/3	1.000	0.205
25	रामलाल पिता मांगीलाल जाति भील निवासी ग्राम भूमि स्वामी	284/1/1	2.000	0.323
कुल योग		47	56.777	31.090

नोट :- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू-अर्जन अधिकारी इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निधि निवेदिता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
क्र. 2576-भू-अर्जन-वर्ष 2019 बैहर, दिनांक 7 जून 2019

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न खाने (1) से (4) तक में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने 6 में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा द्वितीय वर्टिकल शाफ्ट को जाने के लिए मार्ग एवं अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु तथा कंपनी कार्य हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-40 के अंतर्गत भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें अधिनियम की धारा-9 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

अनुसूची

भूमि का वर्णन			अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) तथा भूमि पर स्थित परिसंपत्ति	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी;	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम			
1	2	3	4	5	6
बालाघाट	परसवाड़ा	गुदमा, लगमा	निजी भूमि - 0.639 हे० 8.054 हे० कुल रकबा 8.693 हे०	भू-अर्जन अधिकारी बैहर जिला बालाघाट.	मॉयल लिमिटेड उकवा मॉयल कम्पनी कार्य हेतु

2- अर्जित की जाने वाली वर्णित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट dmbalaghat@nic.in एवं म0प्र0 भासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देख सकता है।

3- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा०)/भू-अर्जन अधिकारी बैहर के न्यायालय में किया जा सकता है।

4- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण खान प्रबंधक उकवा खान बालाघाट में भी किया जा सकता है।

5- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप में कलेक्टर बालाघाट/अ०वि०अ० (रा०) बैहर के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

दीपक आर्य, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 जून 2019

क्रमांक एफ 2-3-2019-सात-शा. 7.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 155 के खण्ड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, राज्य सरकार के स्वामित्व और राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन निगम और मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड को अधिसूचित करती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मुजीबुर्रहमान खान, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 13 जून 2019

क्रमांक एफ 2-3-2019-सात-शा. 7.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ 2-3-2019-सात-शा. 7, दिनांक 13 जून 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मुजीबुर्रहमान खान, उपसचिव.

Bhopal the 13th June 2019

No. F-2-3-2019-VII-S 7.—In exercise of the powers conferred by clause (h) of Section 155 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government hereby, notifies Madhya Pradesh State Tourism Development Corporation and Madhya Pradesh Tourism Board, that are owned and controlled by the State Government.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

MUJEEBUR REHMAN KHAN, Dy. Secy.

राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पत्र क्र.-भू-अर्जन-02-(अ-82) 2018-19-06

डिण्डौरी, दिनांक 25 मई 2019

सार्वजनिक सूचना

[अंतर्गत आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका-11(1)]

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार शहपुरा विकासखण्ड में स्थित बिलगाँव मध्यम परियोजना के नहर क्षेत्र से प्रभावित ग्राम-शहपुरा प.ह.नं. 44 रा.नि.म. शहपुरा, विकासखण्ड शहपुरा, जिला डिण्डौरी के कृषकों की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू-धारकों की सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है:-

ग्राम का नाम	स. क्र.	खातेदार का नाम	सर्वे नं.	कुल रकबा	क्रय हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शहपुरा	1	शिवकुमारसिंह पिता शिवभजनसिंह	858	2.95	0.03	बिलगाँव जलाशय नहर कार्य हेतु.
	2	हरीलाल पिता रामा	857/4	0.65	0.05	
			853/1	0.97	0.09	
	3	उमाकांत पिता रामभरोस	857/1	0.49	0.04	
	4	दीपाली पिता श्रीकान्त ना.बा.पा.मॉ सरोज	853/2/क	0.57	0.04	
	5	प्रियंका पिता श्रीकान्त ना.बा.पा.मॉ सरोज	853/2/ख	0.57	0.03	
			853/2/ग	0.46	0.03	
	6	भोला पिता बुद्ध	856	1.93	0.09	
	7	ज्ञानचंद पिता विशम्भर	855	0.64	0.03	
	8	रामकुमार पिता मूरतलाल	854/1	0.64	0.03	
	9	मूरतलाल, सुदर्शन, ओमकारप्रसाद पिता हरभजन	854/2/1	0.48	0.03	
	10	मनोजकुमार सुरेंद्रकुमार पिता मुन्नालाल, कमलाबाई पति मुन्नालाल.	671/1	1.38	0.05	
	11	यदुनाथ पिता रामलाल	671/3/क	0.29	0.05	
	12	टीकाराम पिता रामभरोस	678/2	1.45	0.05	
	13	सुशीलकुमार पिता बद्रीप्रसाद	685/1/ख	1.08	0.02	
	14	रंजनकुमार पिता बद्रीप्रसाद	685/1/ग	1.08	0.02	
	15	रमेशकुमार पिता बृजमोहन	637/3	0.05	0.04	
	16	नवरतनसिंह पिता अजमेरसिंह	638/1/क	0.28	0.05	
	17	हुकुमचंद पिता दुर्गाप्रसाद	616/1/झ	0.61	0.09	
	18	चन्दूलाल पिता बुद्ध, कलीबाई, भूरीबाई, लल्लीबाई पिता बुद्ध	463/11	0.26	0.04	
	19	खुशीलाल, गणेश पिता संतोखिया, लल्लाबाई पति संतोखिया, पुइया, लक्ष्मी, मीना पिता संतोखिया.	687/1	0.24	0.04	
	20	होरीलाल पिता छकौडी	687/3	0.23	0.02	
21	संजय पिता कमलू	688/1/1	0.26	0.03		
22	रमेश, राजू, गोपाल पिता प्रेमलाल, झीनाबाई पति प्रेमलाल.	688/2	0.29	0.02		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
23	राम पिता कमलू		688/3	0.26	0.02	
24	लल्ला पिता तांती		692/2	0.38	0.05	
			692/1	0.38		
25	घसीटाबाई पति भूरा, राजकुमार, अनोज, पार्वती, रूकमणी पिता भूरा.		692/3	0.38	0.02	
26	बुद्ध पिता तांती		692/4	0.38	0.02	
27	मिलन पिता तांती		692/5	0.38	0.02	
28	गोरा पिता तांती		692/6	0.38	0.02	
29	संजयकुमार पिता भगवानदास		889/1	2.59	0.10	
30	सालिगराम पिता रामसेवक		889/2	1.01	0.09	
31	राजेशकुमार पिता सैलेशकुमार पिता दुर्गा अ. पा. पिता दुर्गा.		795/2	0.26	0.05	
32	अनुपमा पति दिलीपकुमार		795/5/ख	0.22	0.02	
			795/6/ख			
33	जगदीश, भूरा, रामकुमार पिता रूपलाल		795/3/1	2.73	0.03	
34	फतेलाल पिता सैलानी		795/5/क	2.14	0.03	
			795/5/ग			
35	रामभरोस पिता मंगल आ.पा. पिता मंगल पिता लम्पू.		438/1	0.81	0.15	
36	अशोक कुमार पिता रामस्वरूप		442/4	1.34	0.05	
37	भूरा, रामकुमार, गुलाब पिता बारेलाल		442/5	0.67	0.08	
38	रामप्यारी पति रामरतन		455/3	0.41	0.02	
39	मुलुवा, चुन्नी पिता पिन्दू		733	3.86	0.11	
40	रामदास पिता रतीराम		432/8/क/3	0.10	0.04	
41	गेंदलाल पिता रतीराम		432/8/क/5/1	0.10	0.01	
42	अशोक पिता रतीराम		432/8/क/2	0.12	0.01	
43	नानाबाई पति गोविन्द, प्रीती, प्रिया, निखिल, राजकुमारी, पिता गोविन्द ना.बा. माँ नानाबाई.		432/8/क/4	0.13	0.01	
44	दुर्गाबाई पति रतीराम, अशोक, रामदास पिता रतीराम, प्रीती, प्रिया, राजकुमारी, निखिल पिता गोविन्द ना. बा. माँ. नानाबाई, गेंदलाल पिता रतीराम.		432/8/क/1	0.14	0.01	
45	तुलाराम पिता भैयालाल		432/7	0.67	0.06	
46	विभाषकुमार, सुभाषकुमार, संगीता, सुषमा पिता श्यामलाल.		57/6	1.12	0.12	
47	अशोककुमार पिता अमृतलाल		64/3	1.69	0.01	
48	अरविंद पिता अजीत जैन		175	0.43	0.08	
49	जनोहर पिता समनू		236/2	1.15	0.21	
50	विमला पति हरकपाल		372/1	1.26	0.08	
51	बिशनूप्रसाद, शिवप्रसाद, मोहनलाल, महेशप्रसाद पिता झल्लाप्रसाद.		374/1	0.81	0.06	
52	राजेन्द्र कुमार, राकेश, रमेश, पिता रूद्रशरण, कृष्ण कुमार, रामकुमार, सुशीलकुमार, कमल, पिता ललताप्रसाद लक्ष्मणशरण पिता जानकीप्रसाद, श्रीकांत, कृष्णकांत पिता वेदशरण.		381/1	2.57	0.05	
योग:—52	कृषक			46.71	2.64	

उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमियों के भूमि स्वामियों को हित व उस पर स्थित मकान/कूप/वृक्ष आदि बावत् दावा/आपत्ति प्रस्तुत करना हो, तो वह मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें. नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे/आपत्तियां मान्य नहीं की जावेंगी.

क्र. भू-अर्जन-24 (अ-82) 2018-2019-07.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है.

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में "सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट" से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:—

भूमि का वर्णन					अनुसूची	
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	सर्वे नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	निर्माण कार्य एजेंसी का नाम	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	शहपुरा	देवरी कला बांयी तट सबमाइनर 01.	78	0.02	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	सारसडोली जलाशय परियोजना का नहर कार्य.
			77	0.04		
			76/1	0.03		
			75	0.02		
			72	0.01		
			114/1	0.03		
			114/2	0.04		
			113/1	0.02		
			113/2	0.02		
			123	0.01		
			122	0.03		
			137	0.02		
			138	0.02		
			139	0.02		
			142	0.04		
			143	0.03		
			158/1	0.03		
			159	0.08		
			133	0.04		
			132	0.08		
			180	0.09		
			183	0.14		
			185	0.01		
			योग . .	0.87		
		शासकीय भूमि	184	0.01		
			योग . .	0.01		
			सकल योग . .	0.88		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-25 (अ-82) 2018-2019-08.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है.

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में "सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट" से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:—

भूमि का वर्णन				अनुसूची		निर्माण कार्य एजेंसी	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	सर्वे नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	का नाम	का वर्णन	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
डिण्डौरी	शहपुरा	मटका रैयत बांयी तट मुख्य माइनर	385	0.09	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	सारसडोली जलाशय परियोजना का नहर कार्य.	
			387	0.02			
			388	0.03			
			288	0.07			
			290	0.19			
			343	0.12			
			342	0.10			
			301	0.07			
			318	0.10			
			319	0.14			
			324	0.05			
			325/2	0.04			
			327	0.02			
			328	0.02			
			334	0.09			
			186	0.15			
			188	0.02			
			187	0.09			
			185/1	0.04			
			47	0.01			
			48	0.04			
			62	0.08			
			67	0.09			
			69	0.16			
			70	0.02			
			118	0.28			
			91	0.11			
			92	0.29			
			93/1	0.05			
			93/2	0.05			
			94/2	0.03			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			96/2	0.27		
			97	0.14		
			योग . .	<u>3.07</u>		
			शासकीय भूमि			
			289	0.03		
			304	0.05		
			331	0.03		
			190	0.03		
			95	0.03		
			85	0.04		
			98	0.03		
			योग . .	<u>0.24</u>		
			सकल योग . .	<u>3.31</u>		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-26 (अ-82) 2018-2019-09.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में "सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट" से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:—

भूमि का वर्णन					अनुसूची	निर्माण कार्य एजेंसी का नाम	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	सर्वे नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	(6)	(7)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
डिण्डौरी	शहपुरा	देवरी कला दांयी	624	0.02	कार्यपालन यंत्री,	सारसडोली जलाशय	
		तट सबमाइनर 02.	623	0.05	जल संसाधन संभाग,	परियोजना का नहर कार्य.	
			592	0.02	डिण्डौरी.		
			525	0.02			
			594	0.03			
			593/2	0.02			
			598	0.04			
			600/2	0.01			
			601/1	0.03			
			601/2	0.04			
			511	0.03			
			510	0.02			
			281	0.01			
			503	0.01			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
			513	0.01			
			524/1	0.02			
			528	0.01			
			499	0.01			
			498	0.04			
			283	0.02			
			285	0.01			
			286/2	0.01			
			योग . .	0.48			
			शासकीय भूमि				
			605/1	0.01			
			517	0.01			
			519	0.02			
			योग . .	0.04			
			सकल योग . .	0.52			

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-27 (अ-82) 2018-2019-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में "सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट" से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		सर्वे		भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	निर्माण कार्य एजेंसी का नाम	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	सर्वे नंबर			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	शहपुरा	सरवाही माल बांयी तट सबमाइनर 04.	198	0.02	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	सारसडोली जलाशय परियोजना का नहर कार्य.
			199	0.01		
			202/1	0.01		
			201	0.01		
			188	0.01		
			187	0.02		
			186	0.02		
			183/1	0.02		
			183/3	0.02		
			179	0.05		
			172	0.04		
			514	0.02		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			512	0.04		
			509/1	0.01		
			योग . .	<u>0.30</u>		
			शासकीय भूमि			
			196	0.05		
			236	0.01		
			178	0.01		
			योग . .	<u>0.07</u>		
			सकल योग . .	<u>0.37</u>		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-28 (अ-82) 2018-2019-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में "सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट" से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:—

भूमि का वर्णन		अनुसूची		निर्माण कार्य एजेंसी	सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	सर्वे नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	का नाम	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	शहपुरा	सरवाही माल बायी तट मुख्य माइनर.	766	0.01	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	सारसडोली जलाशय परियोजना का नहर कार्य.
			765	0.14		
			763	0.06		
			759	0.10		
			385/1	0.22		
			385/2	0.02		
			374	0.05		
			372	0.08		
			129	0.17		
			369/1	0.16		
			367/1	0.03		
			365	0.12		
			363	0.26		
			362/1	0.02		
			362/2	0.01		
			357	0.02		
			359	0.07		
			360	0.11		
			330	0.13		
			331	0.01		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
			322	0.13			
			333/1	0.04			
			333/2	0.02			
			336	0.08			
			310/1	0.04			
			310/2	0.02			
			311	0.04			
			307/1	0.02			
			237/1	0.04			
			237/2	0.08			
			238/1	0.02			
			238/2	0.10			
			240	0.03			
			239	0.01			
			252/1	0.05			
			252/2	0.05			
			253	0.03			
			254	0.10			
			127	0.06			
			128/1	0.07			
			128/2	0.07			
			140	0.03			
			130	0.14			
			116	0.06			
			115	0.10			
			113/1	0.06			
			113/2	0.06			
			102	0.08			
			106	0.04			
			271	0.08			
			273/1	0.03			
			274/1	0.05			
			274/2	0.04			
			275	0.02			
			278	0.02			
			योग . .	<u>3.70</u>			
			शासकीय भूमि				
			376	0.02			
			758	0.03			
			358	0.01			
			306	0.01			
			247	0.01			
			117	0.02			
			104	0.01			
			276	0.02			
			योग . .	<u>0.13</u>			
			सकल योग . .	<u>3.83</u>			

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-29 (अ-82) 2018-2019-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है.

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में "सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट" से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:—

भूमि का वर्णन				अनुसूची		निर्माण कार्य एजेंसी	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	सर्वे नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	का नाम	का वर्णन	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
डिण्डौरी	शहपुरा	सरवाही माल बायी तट सबमाइनर 03.	361 414 415 417 407 718 719 717 714 712 686 687 685 684/1 683 673/2 494 614 617 622 620 621 628 631/3	0.03 0.08 0.03 0.01 0.08 0.01 0.09 0.05 0.05 0.05 0.01 0.02 0.07 0.01 0.01 0.04 0.02 0.08 0.08 0.02 0.04 0.03 0.01	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	सारसडोली जलाशय परियोजना का नहर कार्य.	
				योग . .	0.96		
				शासकीय भूमि			
			364 416 715 713 689 676	0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01			
			योग . .	0.06			
			सकल योग . .	1.02			

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-30 (अ-82) 2018-2019-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है.

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में "सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट" से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:—

अनुसूची धारा—11

भूमि का वर्णन			निर्माण कार्य एजेंसी का नाम		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	सर्वे नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
डिण्डौरी	शहपुरा	देवरी कला बांयी	64/1	0.06	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	सारसडोली जलाशय परियोजना का नहर कार्य.
		एवं दायी तट मुख्य माइनर.	64/3	0.06		
			70	0.06		
			62	0.06		
			61	0.09		
			79	0.16		
			53	0.08		
			56	0.11		
			45	0.30		
			13	0.05		
			44	0.11		
			12	0.03		
			10	0.06		
			8	0.07		
			1	0.22		
			338	0.01		
			337	0.02		
			359	0.26		
			340	0.10		
			363	0.23		
			364	0.02		
			365/1	0.16		
			430	0.08		
			432	0.04		
			425	0.05		
			426	0.02		
			424	0.05		
			420	0.09		
			419/2	0.07		
			418	0.04		
			417	0.11		
			416/2	0.06		
			414	0.06		
			637	0.17		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			635/1	0.17		
			632	0.18		
			633	0.07		
			628	0.02		
			625	0.16		
			569	0.01		
			568	0.01		
			563	0.12		
			564	0.05		
			562/1	0.09		
			561	0.11		
			योग . .	4.15		

शासकीय भूमि

65	0.04
63	0.05
80	0.07
46	0.22
6	0.03
4/1	0.02
413	0.01
517	0.02
415/4	0.01
392	0.07
योग . .	0.54
सकल योग . .	4.69

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-31 (अ-82) 2018-2019-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है.

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में "सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट" से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:—

अनुसूची धारा—11

भूमि का वर्णन					निर्माण कार्य एजेंसी का नाम	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	सर्वे नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	(6)	(7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	शहपुरा	सरवाही रैयत बांयी तट सबमाइनर-05.	228 216/2 217	0.03 0.05 0.11	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	सारसडोली जलाशय परियोजना का नहर कार्य.
			योग . .	0.19		

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

शासकीय भूमि

योग . . . 0.00
सकल योग . . . 0.19

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-32 (अ-82) 2018-2019-15.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में "सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट" से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:—

अनुसूची धारा—11

भूमि का वर्णन		सर्वे		भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	निर्माण कार्य एजेंसी का नाम	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	सर्वे नंबर			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	शहपुरा	कोहानीम्य करौंदी	498/2	0.02	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	सारसडोली जलाशय परियोजना का नहर कार्य.
		रैयत बांयी तट	498/3	0.02		
		सबमाइनर-01.	499	0.02		
				योग . . . 0.06		
				शासकीय भूमि		
				0		
				योग . . . 0.00		
				सकल योग . . . 0.06		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-33 (अ-82) 2018-2019-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में "सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट" से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:—

अनुसूची धारा—11

भूमि का वर्णन		सर्वे		भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	निर्माण कार्य एजेंसी का नाम	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	सर्वे नंबर			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	शहपुरा	सरवाही माल बांयी	161	0.01	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	सारसडोली जलाशय परियोजना का नहर कार्य.
		तट सबमाइनर-05.	159	0.01		
			153	0.09		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			154	0.11		
			526	0.05		
			552	0.05		
			525	0.04		
			553	0.09		
			152	0.03		
			148	0.01		
			149	0.01		
			528	0.02		
			529	0.09		
			530	0.08		
			549	0.01		
			योग . .	<u>0.70</u>		
			शासकीय भूमि			
			144	0.01		
			160	0.01		
			150	0.01		
			योग . .	<u>0.03</u>		
			सकल योग . .	<u>0.73</u>		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-34 (अ-82) 2018-2019-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में "सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट" से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:—

अनुसूची धारा—11

भूमि का वर्णन		निर्माण कार्य एजेंसी का नाम	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन			
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	सर्वे नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	का नाम	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	शहपुरा	कोहानीम्य करौंदी रैयत दांयी तट सबमाइनर-03.	403 404 319 318 415 414 418 419 428 439/1	0.03 0.03 0.04 0.05 0.04 0.05 0.04 0.07 0.05 0.02	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	सारसडोली जलाशय परियोजना का नहर कार्य.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
			439/2	0.02			
			438	0.08			
			461	0.11			
			462	0.01			
			478	0.01			
			477	0.11			
			476	0.05			
			115	0.02			
			116	0.06			
			योग . .	<u>0.89</u>			
			शासकीय भूमि				
			464	0.01			
			324	0.01			
			योग . .	<u>0.02</u>			
			सकल योग . .	<u>0.91</u>			

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-35 (अ-82) 2018-2019-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में "सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट" से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:—

अनुसूची धारा—11

भूमि का वर्णन		निर्माण कार्य एजेंसी का नाम	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन			
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	सर्वे नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	सारसडोली जलाशय परियोजना का नहर कार्य.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	शहपुरा	कोहानीम्य करौंदी	308	0.20		
		माल दांयी तट	309	0.07		
		मुख्य माइनर.	312/1, 312/5	0.04		
			312/2, 312/6	0.04		
			312/3	0.04		
			312/4	0.04		
			306	0.02		
			297	0.01		
			296/1	0.03		
			299	0.03		
			295	0.03		
			277	0.03		
			279	0.06		
			280/1	0.06		
			280/2	0.05		
			281	0.02		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
			282/1	0.02			
			282/2	0.01			
			283/1	0.05			
			46/1	0.01			
			45	0.05			
			19/1	0.12			
			16	0.09			
			15	0.06			
			14	0.07			
			13	0.08			
			8	0.07			
			योग . .	1.40			
			शासकीय भूमि				
			311	0.02			
			303	0.03			
			1	0.02			
			योग . .	0.07			
			सकल योग . .	1.47			

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-36 (अ-82) 2018-2019-19.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। कार्यपालन यंत्रों, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में "सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट" से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:—

अनुसूची धारा—11

भूमि का वर्णन		भूमि का वर्णन		निर्माण कार्य एजेंसी का नाम	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	सर्वे नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	का नाम	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
डिण्डौरी	शहपुरा	सरवाही माल बांयी तट सबमाइनर-02.	767	0.03	कार्यपालन यंत्रों, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	सारसडोली जलाशय परियोजना का नहर कार्य.
			768	0.06		
			770	0.05		
			711/1	0.01		
			752	0.02		
			751/891	0.03		
			778	0.04		
			779/1	0.03		
			779/2	0.03		
			776	0.01		
			798	0.07		
			799	0.03		
			800	0.03		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
			801/4	0.05			
			802	0.04			
			860	0.05			
			859	0.03			
			858	0.07			
			856	0.15			
			855	0.02			
			863/2	0.08			
			849	0.07			
			868/1	0.03			
			868/2	0.02			
			661	0.05			
			663	0.02			
			662	0.06			
			635	0.02			
			655	0.02			
			योग . .	1.22			
			शासकीय भूमि				
			804	0.01			
			758	0.01			
			योग . .	0.02			
			सकल योग . .	1.24			

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-37 (अ-82) 2018-2019-20.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में "सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट" से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:—

अनुसूची धारा—11

भूमि का वर्णन		भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)		निर्माण कार्य एजेंसी का नाम	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	सर्वे नंबर	का नाम	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
डिण्डौरी	शहपुरा	सारसडोली दांयी तट सबमाइनर नं. 01.	165 164/1 143/1 164/2 143/2 144 145 146 63/1	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	सारसडोली जलाशय परियोजना का नहर कार्य.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			66/1	0.05		
			65	0.02		
			68/1	0.04		
			68/2	0.04		
			71/1	0.04		
			74	0.03		
			75	0.02		
			76	0.02		
			79	0.02		
			81	0.01		
			35	0.04		
			83	0.01		
			84	0.01		
			36	0.04		
			26/2	0.02		
			योग . .	<u>0.68</u>		

शासकीय भूमि

170	0.01
166	0.01
142	0.04
147	0.04
27	0.01
योग . .	<u>0.11</u>
सकल योग . .	<u>0.79</u>

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

डिण्डौरी, दिनांक 3 जून 2019

सार्वजनिक सूचना

[अंतर्गत आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका-11(1)]

क्र.-भू-अर्जन-23-(अ-82) 2018-19-22.—सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार समनापुर वि. ख. स्थित में रनगांव जलाशय सिंचाई योजना के डूब क्षेत्र से प्रभावित ग्राम-रनगांव प.ह.नं. 58 रा.नि.मं. समनापुर विकासखण्ड समनापुर व जिला डिण्डौरी के कृषकों की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू-धारकों की सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है:—

अनुसूची

ग्राम का नाम	स. क्र.	खातेदार का नाम	सर्वे नम्बर	कुल रकबा	क्रय हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
रनगांव प.ह.नं. 58 रा. नि. मं. समनापुर.	1	जमुना बाई पति कवल सिंह	287/9	0.20	0.20	रनगांव जलाशय के डूब क्षेत्र हेतु.
	2	रामप्यारी देवकी पुत्री अमरु	318	312	0.50	
	3	गुलाब सिंह, रामसिंह पिता सोनसिंह, गुलाब बाई, बुद्धिबाई पिता सोनसिंह.	305	0.80	0.41	
	4	मुलिया बाई पति भददे सिंह	304	0.81	0.20	
		Total . .		<u>4.930</u>	<u>1.310</u>	

उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमियों के भूमि स्वामियों को हित व उस पर स्थित मकान/कूप/वृक्ष आदि बाबत दावा/आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वह मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के 15 (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें. नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे/आपत्तियाँ मान्य नहीं की जावेगी.

सार्वजनिक सूचना

[अंतर्गत आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका-11(1)]

क्र.-भू-अर्जन-38-(अ-82) 2018-19-23.—सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार शहपुरा वि. ख. स्थित में स्थित बिलगाँव मध्यम परियोजना के नहर कार्य में प्रभावित ग्राम-बिजौरी प.ह.नं. 45 रा.नि.मं. शहपुरा तहसील, शहपुरा व जिला डिण्डौरी के कृषकों की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू-धारकों की सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है:—

अनुसूची

ग्राम का नाम	स. क्र.	खातेदार का नाम	सर्वे नम्बर	कुल रकबा	क्रय हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
बिजौरी प.ह.नं. 45 रा. नि. मं. शहपुरा.	1	पुरुषोत्तम पिता गरीबा	42/10 324/7	0.06 0.05	0.02 0.05	बेलगाँव जलाशय नहर कार्य हेतु.
	2	रामकरन पिता गरीबा	42/8	0.07	0.02	
	3	नरबद पिता गरीबा	324/3/1 42/9	0.05 0.07	0.02 0.02	
	4	संतोष पिता लल्ला	448/1	0.27	0.02	
	5	पंचन पिता नन्हुआ	448/2	0.27	0.02	
	6	चूरामन पिता साधूराम	418	0.21	0.03	
	7	सोनकी पति कमला रमेश घनश्याम पिता कमला भागचंद रामगोपाल पिता रिखिया प्रयागवति पति गेंदा सुरेश विद्यासागर पिता गेंदा भागवति पति रामविशाल रानू पिता रामविशाल.	42/1/1 323/3	0.27 0.14	0.06 0.014	
	8	दरबारी पिता गरीबा	323/4	0.05	0.02	
	9	लोकमन पिता हरिया	414/1	0.85	0.03	
	10	नरबद पिता नोहरलाल	289/2	0.07	0.02	
	11	कमलेश पिता होनहार	289/1	0.07	0.02	
			Total . .	2.50	0.49	

उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमियों के भूमि स्वामियों को हित व उस पर स्थित मकान/कूप/वृक्ष आदि बाबत दावा/आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वह मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के 15 (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें. नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे/आपत्तियाँ मान्य नहीं की जावेगी.

सार्वजनिक सूचना

[अंतर्गत आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका-11(1)]

क्र.-भू-अर्जन-03-(अ-82) 2018-19-24.—सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार समनापुर वि. ख. स्थित में रनगाँव जलाशय सिंचाई योजना के नहर क्षेत्र से प्रभावित ग्राम-रनगाँव प.ह.नं. 58 रा.नि.मं. समनापुर विकासखण्ड समनापुर व जिला डिण्डौरी

के कृषकों की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू-धारकों की सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है:—

ग्राम का नाम	स. क्र.	खातेदार का नाम	सर्वे नम्बर	कुल रकबा	क्रय हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
रनगांव प.ह.नं. 58 रा. नि. मं. समनापुर.	1	राजेश कुमार पिता मोहर सिंह	287/4/2	0.660	0.150	रनगांव जलाशय नहर कार्य.
	2	मानसिंह पिता फुन्दीलाल	287/2	0.750	0.440	
			282	1.320	1.25	
	3	अमरसिंह पिता बुधराम	227/1	0.420	0.052	
	4	विक्रम सिंह पिता बुधराम	227/2	0.420	0.052	
	5	माहे बाई पुत्री हजारी	248/2	0.800	0.033	
	6	पुशिया पुत्री हजारी	248/3	0.400	0.033	
	7	सुन्दर सिंह पिता हजारी	248/1/1	1.030	0.016	
		8	श्यामा बाई पिता हजारी	248/1/2	0.800	0.016
			Total . .	6.600	0.917	

उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमियों के भूमि स्वामियों को हित व उस पर स्थित मकान/कूप/वृक्ष आदि बाबत दावा/आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वह मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के 15 (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें. नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे/आपत्तियां मान्य नहीं की जावेगी.

सार्वजनिक सूचना

[अंतर्गत आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका-11(1)]

क्र.-भू-अर्जन-40-(अ-82) 2018-19-25.—सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार डिण्डौरी वि. ख. स्थित में बडझर जलाशय के नहर क्षेत्र से प्रभावित ग्राम-बिछिया प.ह.नं. 57, रा.नि.म. बिछिया, विकासखण्ड शहपुरा व जिला डिण्डौरी के कृषकों की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू-धारकों की सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है:—

अनुसूची

ग्राम का नाम	स. क्र.	खातेदार का नाम	सर्वे नम्बर	कुल रकबा	क्रय हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
बिछिया प.ह.नं. 57 रा. नि. मं. शहपुरा.	1	मनीष पिता जगदीश	476/1	0.24	0.06	बडझर जलाशय नहर हेतु.
	2	अच्छे लाल पिता जगत लाल	479/2	0.32	0.08	
	3	गणेश, दिलीप पिता फुलचंद, अशोक कुमार पिता रामनाथ.	431/1	0.92	0.08	
			Total . .	1.48	0.22	

उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमियों के भूमि स्वामियों को हित व उस पर स्थित मकान/कूप/वृक्ष आदि बाबत दावा/आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वह मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के 15 (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें. नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे/आपत्तियां मान्य नहीं की जावेगी.

सार्वजनिक सूचना

[अंतर्गत आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका-11(1)]

क्र.-भू-अर्जन-39-(अ-82) 2018-19-26.—सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार बजाग वि. ख. स्थित में स्थित पिण्डरूखी डायवर्सन योजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम-बघरैली रैयत प.ह.नं. 193 रा.नि.म. बजाग तहसील बजाग व जिला डिण्डौरी के

कृषकों की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू-धारकों की सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है:—

अनुसूची

ग्राम का नाम	स. क्र.	खातेदार का नाम	सर्वे नम्बर	कुल रकबा	क्रय हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
बघरैली प.ह.नं. 193 रा. नि. मं. बजाग.	1	मंगल पिता भददू सिंह जाति गोड निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	17	0.520	0.100	पिण्डरूखी डायवर्सन योजना डूब क्षेत्र.
Total . .				0.520	0.100	

उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमियों के भूमि स्वामियों को हित व उस पर स्थित मकान/कूप/वृक्ष आदि बाबत दावा/आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वह मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के 15 (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें. नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे/आपत्तियां मान्य नहीं की जावेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुरभी गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प. क्र.-2893-जि.भू.अ.-2019

सिवनी, दिनांक 28 मई 2019

चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों के इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	ग्राम/प.ह.न./ ब. नं.	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे.)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	बरघाट	निवारी ब. नं. 309 प.ह.नं. 65.	3.04	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रं. 1 सिवनी, जिला सिवनी.	कांचना मंडी जलाशय के अंतर्गत अतिरिक्त डूब क्षेत्र.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बरघाट, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रं. 1 सिवनी, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बरघाट, जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रवीण सिंह अढायच, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 6 मार्च 2019

पत्र क्र. 304-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	कोलवार	6.000	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलौद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 7 जून 2019

पत्र क्र. 463-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	बेरहना	6.000	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलौद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 465-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	गहरी	3.220	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलौंद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 467-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	सेमरा	4.800	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलौंद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 469-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा,

अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूँकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	कोनिया	4.850	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलौद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 471-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूँकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	बम्हनेट	5.600	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलौद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 473-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूँकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा

अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	खड़ौरा	4.500	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलौंद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

2. भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 475-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	गुढ़वा	7.300	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलौंद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

2. भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 477-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत

करता हूँ. चूँकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	मऊ	2.395	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलौद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

2. भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 479-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूँकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	माजन	4.995	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलौद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

2. भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 481-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूँकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा

अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	बड़ेरा खुर्द	6.750	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलौद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 483-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	मसमासी जमुनहाई	4.920	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलौद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

2. भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 485-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	डोमहाई	5.000	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलौद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

2. भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 487-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि पुरवा नहर की मझगावां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	गरलगा	3.550	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलौंद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगावां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 489-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि पुरवा नहर की मझगावां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	पगार कला	6.300	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलौंद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगावां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 491-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत

करता हूँ, चूँकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराज नगर	भरजुना कला	1.200	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलौंद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 493-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूँकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराज नगर	बरा खुर्द	0.950	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलौंद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 495-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूँकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा

अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराज नगर	पोईधा कला	1.200	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलौंद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 497-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराज नगर	शाहा	0.950	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलौंद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 499-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोटर	निमहा	3.440	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलौंद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 501-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	कोलवार	6.000	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलौद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 503-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोटर	चितगढ़	2.500	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलौद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 505-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा

अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोटर	पटना कला	3.500	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलौद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 507-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोटर	करकोटी	2.320	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलौद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 509-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोटर	मोहनिया	5.980	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलौद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 511-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोटर	सेमरा	3.490	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलौंद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 513-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोटर	सोनवर्षा	3.820	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलौंद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 515-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा

अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोटर	देवरा	3.920	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3, देवलौद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

2. भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 517-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोटर	सेमरी	3.480	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3, देवलौद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

2. भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 519-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोटर	अकौना	3.350	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3, देवलौद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

2. भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 521-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	बड़ेरा	4.120	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3, देवलौद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

2. भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 523-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	कुम्हरौला	3.650	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3, देवलौद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

2. भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 525-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने

की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	परसदिया	4.200	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलौंद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

2. भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 527-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	गोरसरी	2.100	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलौंद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

2. भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. एस. कुलेश, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 10 जून 2019

प्र. क्र. 02-अ-82-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीहोर
(ख) तहसील—श्यामपुर
(ग) ग्राम—आछारोही
(घ) क्षेत्रफल—29.683

सर्वे नंबर

(1)

2/2/1

2/2/2

4/6

2/3

3/1

3/2

3/3

3/4

3/5

3/6

4/1

4/2

4/3

4/4

4/5

5/1

6

7

16

योग

(2)

0.658

0.658

0.556

1.376

0.583

0.580

0.166

0.460

0.170

0.135

0.657

0.657

0.658

0.600

0.560

0.400

1.800

0.769

0.280

(1)

8

62/1

11

30/1

31

239/21/1

22/2

29/1

13/2

29/2

33/1

33/3

34/1/1

34/1/2

34/1/3

34/1/4

34/1/6

44/1

44/2

44/3

239/21/2

3/7

5/2

13/3

236/36/3

36/5

13/4

22/1

22/3

28/2/2

28/2/3

28/2/4

28/2/5

30/2

30/3

62/3

181/4

2/2/3

181/5

34/2

236/36/1

(2)

0.250

1.100

1.200

0.320

0.120

0.025

0.722

0.480

1.000

0.600

1.012

1.000

0.192

0.016

0.809

0.300

0.253

1.400

0.999

0.100

0.040

0.253

0.300

0.500

0.400

0.504

0.607

0.600

0.660

0.013

0.051

0.123

0.038

0.040

0.280

0.640

0.406

0.102

0.406

0.049

0.050

महायोग . . . 29.683

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—पार्वती परियोजना बांध निर्माण हेतु—भू-अर्जन. भूमि के नक्शे प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.		(1)	(2)
		100/1	1.120
		13/2, 15	0.400
		19	0.190
प्र. क्र. 03-अ-82-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—		20	0.522
		21	1.348
		22/1	0.285
		22/2	0.032
		23	0.324
		24	0.750
		26/1	0.134
		27/1	0.485
		26/2	0.133
		27/2	0.485
		26/3	0.134
		27/3	0.489
		28/2/1, 31	0.809
		30/2	0.202
		28/2/2, 31	0.405
		30/3	0.210
		29	1.906
		57/1	0.450
		57/7	0.168
		57/6	0.219
		57/8	0.562
		57/2	0.520
		57/3	0.856
		57/4	0.656
		60/5	0.288
		60/8	0.240
		60/3	0.150
		60/6	0.040
		60/7	0.210
		100/5	0.540
		100/9	0.077
		100/13	1.340
		100/14	1.034
		57/5	0.248
		60/1	0.120
		60/2	0.150
		60/14	0.120
		99/4	0.030
		99/5	0.250
			<u>31.294</u>
			महायोग . . .

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीहोर
(ख) तहसील—श्यामपुर
(ग) ग्राम—हिंगोनी
(घ) क्षेत्रफल—31.294

सर्वे नंबर

योग

(1)

(2)

7/1

0.283

7/2

0.161

7/3

1.076

7/4

0.441

7/5

0.441

7/6

0.445

7/7

0.445

7/8

0.445

40/4

0.210

7/9

0.445

8

0.263

9/12/17/1

0.234

11

0.623

9/12/17/2

1.272

9/12/17/3

1.219

10

0.615

15/1/1, 16/1

0.812

28/1, 31

2.436

30/1

0.413

18

0.384

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—पार्वती परियोजना बांध निर्माण हेतु—भू-अर्जन. भूमि के नक्शे प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी, सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 05-अ-82-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीहोर
(ख) तहसील—श्यामपुर
(ग) ग्राम—छतरपुरा
(घ) क्षेत्रफल—4.699

सर्वे नंबर	योग
(1)	(2)
2/5/3	0.081
56/5	0.202
58/1/1	0.207
58/1/2	0.150
58/2/1	0.110
58/4/2	0.060
58/2/2	0.011
58/4/1	0.015
58/3	0.041
61/6	0.809
61/7	0.324
61/8	0.161
61/11	0.324
61/2	0.291
61/4	0.161
61/5	0.283
2/5/2	0.486
2/19	0.486
2/18	0.060

(1)	(2)
2/21	0.181
2/20	0.161
54/1	0.045
54/2	0.020
2/5/1	0.030

महायोग . . 4.699

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—पार्वती परियोजना बांध निर्माण हेतु—भू-अर्जन. भूमि के नक्शे प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 06-अ-82-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीहोर
(ख) तहसील—श्यामपुर
(ग) ग्राम—भेरुपुरा
(घ) क्षेत्रफल—2.915

सर्वे नंबर	योग
(1)	(2)
28/2	0.400
28/4	0.200
28/5	0.324
28/7	0.446
28/8	0.081
68	0.251
106	0.129
108/1	0.049
108/2	0.090
112/2	0.041
174/112/2	0.243
14/2	0.101
53, 54	0.030
108/3	0.030
28/3	0.500

महायोग . . 2.915

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—पार्वती परियोजना बांध निर्माण हेतु—भू-अर्जन. भूमि के नक्शे प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी, सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 07-अ-82-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीहोर
(ख) तहसील—श्यामपुर
(ग) ग्राम—बिशनखेडा
(घ) क्षेत्रफल—13.846

सर्वे नंबर (1)	योग (2)
2/1	1.222
2/2	0.918
30/1/1	0.400
2/3/1	0.457
2/3/2	0.458
30/3/2	0.493
2/4	0.458
30/4/1	0.069
2/5	0.458
30/5	0.125
2/6/1	0.227
30/6/2	0.105
2/6/2	0.190
30/6/1	0.105
2/7	0.360
30/7	0.216
3	0.219
4	0.049
5	0.360
9	0.271
10, 11	0.695
15, 16	0.377
66/10	0.259

(1)	(2)
72/10	0.275
6	0.190
7	0.417
65/7	0.166
8	0.275
12	0.134
28/2/2	0.517
30/1/2	1.547
30/2/1	0.050
30/2/2	0.100
30/2/3	0.100
30/2/4	0.100
30/3/1	0.493
64/4/2	0.056
64/4/1	0.056
30/4/2	0.069
30/4/3	0.070
2/8	0.700
28/3	0.040

महायोग . . 13.846

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—पार्वती परियोजना बांध निर्माण हेतु—भू-अर्जन. भूमि के नक्शे प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी, सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 08-अ-82-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीहोर
(ख) तहसील—श्यामपुर
(ग) ग्राम—चरनाल
(घ) क्षेत्रफल—0.006

सर्वे नंबर (1)	योग (2)
7/1	0.006
महायोग . .	0.006

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पार्वती परियोजना बांध निर्माण हेतु—भू-अर्जन. भूमि के नक्शे प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी, सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 09-अ-82-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीहोर
(ख) तहसील—श्यामपुर
(ग) ग्राम—दुरगांव
(घ) क्षेत्रफल—17.552

सर्वे नंबर	योग
(1)	(2)
68	0.125
64	0.202
55	0.009
59	0.166
46	0.267
60	0.045
61	0.032
47	0.393
58	0.040
62	0.174
41	0.433
42	0.048
28, 43	0.130
57	0.182
189/1, 125	0.384
25/3, 26/3	0.060
27/3	0.016
178/65	0.243
70/2	0.089
70/4	0.089
70/1	0.089
70/3	0.089

(1)	(2)
120/2, 121/2	0.160
120/1, 121/1	0.121
121/2/2	0.469
121/2/1/1	1.590
121/2/1/2	0.405
124/2	0.223
124/1/1	0.784
124/1/2	0.543
189/125/2	0.384
25/2, 26/2	0.071
27/2	0.016
215/125/1/1	2.618
189/3/1, 125	0.256
25/1/1, 26	0.048
27/1	0.024
189/3/2, 125	0.256
25/1/2, 26	0.048
189/3/3, 125	0.257
25/1/3, 26	0.048
65/1/1	0.150
66/1/1, 179/65/1	0.194
65/1/2	0.498
66/1/2, 179/65	0.312
65/1/3/1	0.810
65/1/3/2	0.809
65/2	2.266
163/66	0.125
67/2	0.048
67/1	0.081
162/50/1	0.031
162/50/2	0.031
162/50/3	0.031
162/50/4	0.034
125/1	0.302
125/2	0.204
महायोग . . .	
<u>17.552</u>	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पार्वती परियोजना बांध निर्माण हेतु—भू-अर्जन. भूमि के नक्शे प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी, सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 10-अ-82-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और

पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीहोर

(ख) तहसील—श्यामपुर

(ग) ग्राम—महुआखेडा

(घ) क्षेत्रफल—159.361

सर्वे नंबर

(1)

3

4/1

4/2

6/1

24/3

25/3

38/5/3

42, 43

44

6/2

14/2

6/3/1

6/3/2

6/4

6/5

8/2

6/6

6/7/1

11/1

14/1

72/1

6/7/2

11/2

14/3

7/1

36/1

66/4/1

7/2

36/2

66/4/2

योग

(2)

0.632

0.405

0.489

0.405

0.433

0.405

0.267

0.259

0.154

1.214

0.462

1.084

0.321

0.769

1.161

0.243

0.769

0.404

0.509

0.226

0.370

0.405

0.506

0.231

1.598

0.247

0.178

1.598

0.246

0.178

(1)

8/3

8/1

13/1

13/2

109/35

15/3

13/4/1

15/5/1

76/1

13/4/2

15/5/2

15/1

15/2/1

24/1

25/1

38/5/1

15/2/2

24/2

25/2

38/5/2

15/2/3

15/2/4

19/1

64/5

86

19/2

38/7/1

38/7/2

63/2/1

19/3

38/4

63/5

81/14

22/1

64/7

66/7

22/2

81/10

81/2/1

23

24/4

(2)

1.214

1.214

0.085

0.085

0.672

0.368

0.042

0.376

0.444

0.043

0.880

1.256

0.802

0.405

0.198

0.437

0.801

0.259

0.340

0.441

1.602

1.602

0.364

2.023

0.144

0.182

1.315

0.708

0.607

0.186

2.023

0.607

0.809

0.287

1.485

0.225

0.287

2.023

0.391

0.510

0.405

(1)	(2)	(1)	(2)
25/4	0.287	46/3	0.069
38/5/4	0.878	53/3	0.575
28	0.765	47/2	0.225
29	0.214	49/1	0.117
33	0.117	50	0.368
101/33	0.024	49/2	0.117
106/29	0.113	57/1	0.138
30	0.243	81/13	2.630
38/2	0.445	52	2.448
31	0.235	57/2	0.138
35	0.660	81/15	1.011
36/3	1.262	59	0.854
37	0.583	60/1	1.214
66/4/3	0.178	60/2/1	0.210
38/3	1.000	60/2/2	0.773
38/6	4.047	60/2/3	0.773
38/8	0.809	60/2/4	0.635
47/1/2	0.109	102/61/8	0.137
53/2	0.506	60/3	2.136
38/9/2	1.157	61/7, 103/61/7	0.240
38/10/2	2.000	102/61/1	0.137
38/12	1.000	60/4/3	0.283
38/13	1.000	102/61/6	0.085
38/14	1.000	102/61/7	0.053
38/16	0.809	60/5	1.266
53/1	1.084	60/4/1	0.421
40, 41	1.393	61/1, 103/61/1	1.097
46/4	0.129	102/61/11	0.590
74	1.300	61/2, 103/61/2	1.829
71/1	2.246	61/3, 103/61	0.914
45/1	0.154	102/61/3	0.036
69/2	0.825	61/4, 103/61/4	1.825
45/2	0.154	102/61/4	0.077
69/1	0.140	61/5, 103/61/5	0.354
70/2	0.534	102/61/2	0.235
45/3	0.154	104/61	0.185
70/1/1	0.384	61/6, 103/61/6	0.391
46/1	1.672	102/61/9	0.138
47/1/1	0.644	61/8, 103/61	0.914
46/2	0.486	102/61/12	0.041
47/3	0.028	61/9, 103/61	1.619

(1)	(2)	(1)	(2)
61/10, 103/61	0.546	93/2	0.325
102/61/13	0.295	63/2/2	1.315
61/11, 103/61	1.000	63/2/3	1.315
61/12, 103/61	0.315	60/4/2	0.421
63/3	2.719	8/4	2.428
63/4	0.600	8/5	0.178
65/1	0.250	16	0.186
82	0.280	17	0.210
65/5	0.900	34	0.348
66/2	2.023	100/18	0.117
66/6	2.023	107/90	0.551
66/5	1.756	32	0.206
70/1/2	0.405	71/2	0.461
70/1/3	0.149	84	0.278
72/2	0.441	85	0.040
75/2/1	0.246	63/2/4/1	0.101
78/5, 79	0.500	66/3/1	0.470
75/2/2	0.198	63/2/4/2	0.102
77/2	0.680	66/3/2	1.214
77/3	0.137	90	0.551
76/2	0.595	13/3/1	0.028
77/1	0.224	91/2	0.079
78/3, 79/3	0.110	75/1	0.187
80/2	0.572	76/3	0.162
81/11/1	0.526	76/4	0.094
81/12	0.749	13/3/2	0.029
81/16	1.011	13/3/3	0.028
81/19	0.260	15/4	1.256
81/11/2	1.760	64/3/1	2.023
81/3	2.023	81/2/2	0.100
81/5	2.023	64/3/2	1.012
81/9	2.023	81/2/3	0.294
81/18	0.465	81/7/1	0.281
92/3	0.510	64/3/3	1.012
92/1	0.809	81/7/2	0.519
92/2	0.140	64/3/4	1.012
91/1	1.090	64/3/5	1.011
93/1	0.415	18/2	0.154

(1)	(2)	(1)	(2)
38/10/1	2.047	9/5	0.089
65/2/3	0.369	11/1	0.809
81/8	2.023	11/2	0.290
38/9/1	1.675	12/1, 60/1	0.168
		12/4, 60/4	0.081
महायोग . . .	<u>159.361</u>	12/5, 60	0.101
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—पार्वती परियोजना बांध निर्माण हेतु—भू-अर्जन. भूमि के नक्शे प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी, सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.		16/2/1, 19/2/1,	0.060
		20/2/1, 52/1/1	
		17/1	0.300
		17/3	0.370
		19/1/1, 20/3	0.283
		17/2	0.300
		17/4	0.370
		21	0.364
		296/21	1.076
		31	0.725
		289/98/1	0.101
		289/98/2/2	0.060
		महायोग . . .	<u>9.795</u>

प्र. क्र. 12-अ-82-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीहोर
(ख) तहसील—श्यामपुर
(ग) ग्राम—बरीं
(घ) क्षेत्रफल—9.795

सर्वे नंबर	योग
(1)	(2)
3	1.740
6/1	0.243
6/3	0.300
29/1	0.308
6/2	0.060
6/4	0.077
7	0.202
29/2	0.400
30	0.006
9/1	0.251
9/3/2	0.283
9/2	0.200
9/3/1	0.049
9/4	0.129

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—पार्वती परियोजना बांध निर्माण हेतु—भू-अर्जन. भूमि के नक्शे प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी, सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 15-अ-82-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीहोर
(ख) तहसील—श्यामपुर
(ग) ग्राम—चांदबड
(घ) क्षेत्रफल—105.918

सर्वे नंबर	योग
(1)	(2)
2	0.603
5/1	0.300
16/12/1	0.500
16/12/2	0.161

(1)	(2)	(1)	(2)
15/1	0.800	21/4	2.000
15/4	0.100	21/5	0.930
16/6	1.011	21/2	2.023
16/13/1	0.420	23/3	0.407
16/8	1.161	23/2/2	0.202
16/10	1.161	24	1.781
16/11	1.161	26	1.000
16/5	2.023	34/1	0.563
16/1	2.023	29/1	0.243
18/1	0.772	27/2/1	0.100
18/15	0.566	28/1	0.388
18/2	1.259	31/2	0.769
18/3	1.259	32	0.688
18/4	1.259	33/2	2.000
18/5	1.214	38, 39	2.623
18/6	1.214	52	0.254
18/7	1.254	57/1	0.069
18/8	1.259	136	1.453
18/9	1.214	137	1.457
18/10	1.214	138/1, 139/1	1.510
18/11	1.214	141/1	0.547
18/12	1.214	95	0.046
18/13	0.607	53, 54	0.538
18/14	1.214	5/2	0.020
18/16	0.566	96/1	0.449
18/26	0.772	96/4	0.405
18/17	0.566	152/2	0.785
18/18	0.566	96/2	0.400
18/36	0.772	96/3	0.405
18/19	0.566	97/2	0.278
18/37	0.772	111	0.154
18/20	0.566	112	0.486
18/29	0.772	113	1.400
18/21	0.568	114/2	0.440
18/31	0.772	115/2	0.359
18/22	0.566	114/1	0.377
18/32	0.772	115/1	0.187
18/23	0.566	115/4	0.202
18/30	0.772	115/5	0.202
18/24	2.000	117/1	0.740
18/25	2.000	128/1	0.065
18/33	0.637	129/1/1	0.030
18/34	0.488	128/2	0.530
18/38	0.607	129/2	0.190
21/3	0.775		

(1)	(2)	(1)	(2)
133	0.105	154/3/1	0.128
138/2, 139/2	0.198	179/2	0.240
141/2	0.121	181/2	0.250
144/2	0.595	157/2	0.015
145/2	0.299	167/1, 168, 169, 170	0.010
138/3, 139/3	0.405	176	0.256
3/1/1	0.100	177	0.500
144/3	0.445	180/2/1	0.050
146/2	0.081	27/2/2	0.200
147/2	0.283	31/1	0.222
144/1	0.283	35	1.108
145/1	0.364	57/2	0.103
146/1	0.632	62	0.030
147/1	0.543	11/2	0.034
149/1/1	0.676	119	0.010
152/1	0.302	115/3	0.540
150	1.238	8/1, 16/2, 16/3	0.010
151/2/1	0.201	15/2/2	0.013
154/1	0.025	130/1	0.050
154/3/2	0.168	130/2	0.050
154/2	0.025	15/5	0.026
163/1	0.180	23/5	1.012
163/2/क/1	0.325	23/6	1.011
163/2/क/2	0.250	134	0.224
178/2	0.467	135	1.022
178/1/1	0.805	149/2	0.886
179/1	0.110	151/2/2	0.405
180/1	0.480	129/1/2	0.026
215/151/2	0.714	8/2, 16/2, 16/3	0.010
218/32/1	0.364	15/2/3	0.013
218/32/2	1.011	15/2/1	0.014
218/32/3	1.234	16/13/2	0.421
3/1/2	0.260	16/13/3	0.170
11/1	0.034	213/56	0.138
16/7	4.047	178/1/2	0.805
16/9	0.966		
102	0.020		
106	0.205		
143/1	0.801		
142/1	0.744		
143/2	1.303		
189/5	0.150		
214/41	0.024		
215/151/1	0.040		

महायोग . . . 105.918

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पार्वती परियोजना बांध निर्माण हेतु—भू-अर्जन. भूमि के नक्शे प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी, सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 16-अ-82-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीहोर
(ख) तहसील—श्यामपुर
(ग) ग्राम—मगरदीखुर्द
(घ) क्षेत्रफल—14.719

सर्वे नंबर	योग	(1)	(2)
(1)	(2)	57/18	0.200
29/1	0.266	88/1/1	0.062
29/2	0.081	88/1/2	0.304
29/3	0.070	88/1/3	0.276
29/4	0.040	88/1/4	0.120
29/5	0.030	88/2	0.405
29/6	0.025	88/4	0.013
29/7	0.026	88/7/1	0.506
30/1	1.806	88/7/2	0.505
30/2	0.096	88/8/1	0.506
32/1	1.311	88/8/2	0.505
32/2/1	0.116	88/9	2.023
32/2/2	0.358	88/10	0.404
39/2	0.090	39/1	0.130
45	0.311	64/2	0.077
46	0.154	64/1	0.077
47	0.231	67	0.010
32/3	0.115	58	0.027
32/4	0.260	53	0.020
42/2	0.010	127/29/1	0.572
44	0.405	49, 50	0.110
57/3/1	0.163	51/2	0.040
57/11	0.100	65	0.100
57/16	0.192	66	0.210
57/17	0.200	88/3	0.355
		123/64	0.016
		121/58	0.025
		57/3/2	0.163
		127/29/2	0.502
		महायोग . . .	14.719

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पार्वती परियोजना बांध निर्माण हेतु—भू-अर्जन. भूमि के नक्शे प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 17-अ-82-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और

पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीहोर
(ख) तहसील—श्यामपुर
(ग) ग्राम—रावतखेडा
(घ) क्षेत्रफल—79.466

सर्वे नंबर	योग	(1)	(2)
(1)	(2)	90/1/1/1	0.030
4/5	1.000	91/4	0.045
4/6	0.770	90/1/1/2	0.113
4/7	0.770	70/1/2, 71/1	0.129
4/9/1	0.700	176/2	0.198
4/9/2	0.300	187/4	0.100
41/2	0.109	28/1	0.065
57/2	0.290	40	0.283
206/106	0.506	41/1	0.218
152/1	0.190	38/3	0.101
29	0.307	182/3	0.160
74/2	1.319	30/1	0.081
78/1	0.133	79/2	0.404
79/3	0.170	30/2	0.081
80/1	0.192	79/6	0.405
79/4	0.339	30/3	0.158
78/2	0.113	109	0.510
80/3	0.300	31	0.235
135/3	0.040	81	0.798
78/3	0.129	82	0.220
79/1	0.120	86	1.258
80/4	0.224	74/1	0.405
122/1	0.247	53/4, 54, 55	0.566
36/1	0.012	53/7, 54, 55	0.202
37/1	0.057	53/5, 54, 55	0.979
102/1	0.340	53/6, 54, 55	0.202
104/1	0.315	53/2, 54, 55	0.121
133/2	0.100	51/3	0.320
106/1	0.465	53/3/2, 54, 55	1.481
123/1	0.303	36/3	0.016
88/2	0.081	37/3	0.053
		104/3	0.315
		36/4	0.012
		37/4	0.057
		102/2	0.175
		104/4	0.319
		122/2	0.247
		133/1	0.395
		38/1	0.101
		92/1	0.065
		88/1	0.676
		93/1	0.037

(1)	(2)	(1)	(2)
91/3	0.049	78/4	0.339
93/3	0.024	80/5	0.255
114/4	0.049	91/5	0.202
38/2	0.097	91/6	0.004
113/1	0.174	91/7	0.078
114/1	0.101	70/1/1, 71/1	0.129
39/1	0.178	93/2	0.181
39/2	0.178	92/2/1	0.279
41/3	0.105	94/10, 143	0.300
182/4	0.040	94/11, 143	0.360
42/1, 43	0.090	113/3	0.089
52	0.834	114/3	0.049
42/2, 43	0.502	152/2	0.030
56	0.980	91/1	0.356
50/2	0.800	113/4	0.089
51/2	0.320	103	0.190
47	0.192	105/1	0.202
57/1	0.471	105/2	0.304
62/1	0.415	107/1	1.708
62/2	0.375	107/2	1.618
62/3	0.400	205/134/1	0.283
62/4	0.185	116/3	0.405
62/5	0.200	205/134/2	0.287
62/7	0.146	108	1.003
53/3/1, 54, 55	1.481	112/1	0.255
64	2.039	115	0.320
65	0.733	116/1	1.287
69/2	0.169	117	0.482
70/1, 71/1	0.388	118	1.315
144	0.639	119	0.214
195/59	0.339	110	0.053
66	1.327	111	0.097
67/1, 68/1, 89/1	1.350	128/2	0.607
90/1/3	0.141	135/6	0.400
67/2, 68/2, 89/2	1.354	116/2	0.405
69/1	0.404	120/2	0.583
70/2	0.283	121/2	0.534
71/2	0.101	120/1	0.202
76/2	1.162	121/1	0.534
76/3	2.000	124/2	0.198
76/4	2.000	128/1	0.275

(1)	(2)
131/1	0.283
129	0.947
124/1	2.023
128/3	0.405
125	0.413
126	0.910
127	0.717
130	0.348
131/2	0.405
134/1	0.660
135/2	0.040
113/2	0.174
114/2	0.094
79/5	0.202
135/4	0.052
135/5	0.052
135/1/2	0.175
147/3	0.150
149	0.158
152/3	0.032
155	0.058
152/4	0.202
162/2	0.225
162/1	0.425
181/1	0.040
181/2	0.040
182/2	0.040
181/3	0.030
201/147	1.967
53/1, 54, 55	1.011
53/1/2, 54, 55	1.057
70/1/3, 71/1	0.130
207/56/1	0.470
51/1/1	0.447
50/1/2	0.510
51/1/2	0.188
49	0.154
85/1	0.050
85/2	0.050
92/2/2	0.048
135/1/1	0.470
36/2	0.016
37/2	0.056
104/2/1	0.268
123/2	0.299
104/2/2	0.047

(1)	(2)
106/2	0.469
90/1/2	0.101
62/6	0.210
158	0.223
166/1	0.080
166/2	0.100
176/1/2	0.052
187/1/1	0.040
187/1/2	0.060
महायोग . . .	
<u>79.466</u>	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—पार्वती परियोजना बांध निर्माण हेतु—भू-अर्जन. भूमि के नक्शे प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 18-अ-82-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीहोर
(ख) तहसील—श्यामपुर
(ग) ग्राम—मगरदी कलां
(घ) क्षेत्रफल—0.330

सर्वे नंबर	योग
(1)	(2)
2/1	0.010
58/1	0.040
58/2	0.040
59/1/2	0.040
59/2/1	0.100
59/2/2	0.100
महायोग . . .	
<u>0.330</u>	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—पार्वती परियोजना बांध निर्माण हेतु—भू-अर्जन. भूमि के नक्शे प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सीहोर, दिनांक 12 जून 2019

प्र. क्र. 14-अ-82-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीहोर
(ख) तहसील—श्यामपुर
(ग) ग्राम—मरहेटी
(घ) क्षेत्रफल—73.664

सर्वे नंबर

(1)

योग

(2)

181/27/4

0.105

3/3/1

0.030

181/24/1

0.834

181/12/2

0.082

51

0.580

181/29

1.267

4

0.656

181/30/1

0.421

18/2

0.130

181/22/2

0.283

8/4

0.080

181/30/3

0.425

41/2

0.030

49/2

0.299

181/30/2

0.421

8/5

0.192

8/2

0.030

8/3

0.057

8/1

0.500

17/3

0.120

16/2, 17

0.300

18/1

0.016

181/12/1

0.082

181/33

0.635

181/32

0.631

(1)

52/3

46/2/2

47

46/2/1

52/2/2

41/1

42

46/1/2

52/2/1

50

52/1

182/98/1

106

135

112/1

117/1

117/2

118

115/3/4, 185/1, 15/9,

185/1, 15/10

115/2/4

115/2/5

115/2/3

115/3/3, 185/1, 15/9,

185/1, 15/10

115/3/5, 185/1, 15/9,

185/1, 15/10

115/3/6, 185/1, 15/9,

185/1, 15/10

115/2/1

115/2/6

120/4, 121/4

122/2

183/120/1

122/1

124/2, 125, 126

124/7, 125/126

128/1

128/6

128/9

128/8

128/10

98/1/2/ख

(2)

0.240

0.480

0.336

0.248

0.035

0.100

0.160

0.120

0.035

0.572

0.202

0.200

0.370

0.400

0.160

0.506

0.506

1.000

0.101

0.800

0.636

0.063

0.506

0.253

0.304

0.624

0.367

0.063

0.202

0.405

0.100

0.759

0.506

0.250

0.526

0.498

1.011

0.514

0.605

(1)	(2)	(1)	(2)
182/98/2	0.759	181/31/2	0.546
128/14	0.809	181/2/2	0.809
128/15	0.405	181/19/2	0.607
128/16/2	0.405	181/26	1.267
132/2	0.159	181/28	0.315
134	0.150	181/17	0.486
140/1/ख	0.038	181/34	1.267
131/1	0.253	181/21	0.409
129/3	0.809	181/1	0.878
129/3/2	0.809	181/14	0.490
129/1	4.124	181/15	0.490
136/1	0.086	181/16	0.490
140/1/क	0.038	181/18	0.490
140/1/1/ख	0.031	181/19/1	0.388
183/120/2	0.600	181/23	1.267
183/120/3	0.506	181/13	0.490
183/4, 120	0.100	181/38	0.317
182/9, 8/3	3.750	181/35	0.321
181/3	1.757	181/36	0.317
101/1	2.225	181/20/2	0.635
101/2/2	0.210	181/20/1	0.630
181/9	0.121	185/115/1	0.202
181/27/3	0.214	185/115/2	0.251
181/41	0.243	185/115/3	0.506
181/19/3	0.272	17/1, 16/1	0.126
181/37	0.317	128/16/1	0.561
181/22/1	0.574	131/5	0.712
181/27/2	0.316	132/1	0.025
181/4	0.486	101/3	2.225
181/5	0.486	129/4	1.214
181/27/1	0.316	129/2	1.214
5/1	0.020	3/3/2	0.200
181/6	0.490	52/5	0.160
181/7	0.121	24	0.030
181/8	0.241	185/115/8	1.113
181/10/1	0.081	128/2	0.200
181/10/2	0.161	128/4	0.379
181/10/3	0.081	128/5	0.789
181/10/5	0.080	128/7	0.050
181/25	1.267	127/1	0.312
181/31/3	0.506	127/2, 125, 126	0.734
181/31/4	0.107	52/2/3	0.035
181/31/1	0.107	52/2/4	0.035

(1)	(2)	(1)	(2)
52/4	0.161	2/7	2.023
49/1	0.264	2/8	2.023
181/2/1	0.069	2/9	1.348
181/10/4	0.081	2/10	1.348
181/11/1	0.243	2/11	1.011
181/11/2	0.243	2/12	0.393
181/12/3	0.083	2/13	0.393
181/24/2	0.433	2/14	2.024
181/40	0.486	2/15	1.011
136/2	0.020	4/1	2.158
महायोग . . .	<u>73.664</u>	4/4	0.182
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—पार्वती परियोजना बांध निर्माण हेतु—भू-अर्जन. भूमि के नक्शे प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.		8/2, 275/232	0.142
		4/2	1.748
		4/3/1	1.505
		4/3/2	1.509
		6/6	0.202
प्र. क्र. 13-अ-82-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—		6/7	0.129
		6/3	0.405
		6/8	0.202
		6/9	0.630
		6/5	0.312
		22/3	0.817
		6/4/1	0.133
		6/4/2	0.809
		6/2	0.161
		6/1	2.428
		46/4	0.044
		119/2	0.023
		135/1	0.227
		136/1	0.097
		136/6	0.065
		31/3	0.020
		8/1/ख, 8/275/232/2/1ख	1.417
		8/3, 275/232	1.841
		8/1क, 275/232/2	2.015
		9/1/2	0.441
		22/2	0.502
		9/1	1.315
		272/20/1	0.128
		10/1	0.708
		10/2	0.708
		11	2.638
		20	0.369
सर्वे नंबर	योग		
(1)	(2)		
2/1	0.389		
2/2	2.023		
2/3	1.352		
2/4	2.023		
2/5	2.023		
9/2	1.316		
2/6/1	2.023		
67/6/1	0.202		
2/6/2	2.023		
67/6/2	0.202		

(1)	(2)	(1)	(2)
116	0.077	26/1	0.660
13/1	1.331	23/8	0.506
15/1	0.607	23/17	0.579
13/2	1.331	117/4	0.150
15/2	0.607	23/9	1.214
30/1	0.980	23/20	0.028
46/3	0.300	23/10	0.028
135/3	0.138	23/1/1	0.809
136/3	0.251	23/1/2	0.809
14/2	0.721	23/1/3	0.809
128	0.235	23/1/4	0.809
14/1	0.587	23/1/5	0.333
42/4, 43, 51/4	0.250	23/2	2.023
136/4	0.393	48/2	0.040
46/5	0.057	23/23	0.405
17	0.835	23/25	0.405
21/1	0.881	24/3, 24/4	0.242
23/5	0.506	25/3, 25/4	0.324
23/14	0.575	26/3, 26/4	0.242
117/1	0.154	27/08	0.676
118/1	0.121	24/2	0.405
21/2	0.214	24/1	0.467
23/6	0.506	25/1	0.081
23/15	0.575	25/2	1.052
117/2	0.150	26/2	0.563
118/2	0.117	27/9	0.676
21/3	0.877	27/11	0.202
117/3	0.150	42/2, 43, 51	0.250
23/7	0.506	27/5	2.023
23/16	0.579	27/07/5	0.505
21/4	0.877	27/07/3	0.506
21/2/2, 22/1, 23, 24	0.667	151/2	0.150
48/3	0.490	27/07/4	0.509
48/4/2	0.102	27/10	2.225
22/1	0.186	27/4	0.672
85/2	0.126	27/7/2	1.011
23/3/4	0.178	27/7/1	1.012
23/3/3	0.506	27/03	0.809
23/3/1	0.530	27/06	2.023
23/3/2	0.906	28/01	1.119
23/4/1, 27/2	0.405	28/5	0.809
23/11	0.647	28/2	0.110
23/12	0.405	48/5	0.016

(1)	(2)	(1)	(2)
28/3	0.090	140/3	0.194
28/6/2	0.620	141/3	0.182
29/1	0.756	198/9/3	0.200
29/2/1	0.380	67/3	1.214
29/2/2	0.380	67/4	1.183
30/2	1.113	67/5	0.760
46/1	0.040	144	0.753
45/3	0.040	242/141	0.057
48/4	0.101	67/1	0.849
35/1	0.640	238/63	1.894
36/4	1.000	237/67	1.910
36/6	1.000	67/2	0.809
36/7	1.000	67/12	0.320
36/8	1.000	273/63/6/1	0.943
38/2	2.225	273/63/7/1	0.538
38/1	2.225	67/13	0.128
149/3	0.345	273/63/7/2	2.295
149/2	0.689	273/63/6/2	2.295
102/2	0.178	85/1/2	0.281
133	0.101	86/1/2	0.230
134	0.364	102/1/2	0.069
46/2	0.211	135/2	0.243
45/2	0.050	136/2	0.065
45/1	0.060	136/5	0.081
137/3	1.817	102/1/1	0.069
137/4	0.905	103/2	0.182
138/1	0.259	103/1	0.182
138/3	0.259	198/8	1.000
145/3	0.170	103/3	0.182
58/1/2, 59/1, 59/2/2/2	0.200	139/1	0.218
58/1/1, 59/1/2, 59/2/2	0.303	140/1, 142	0.194
60/2	0.345	141/1	0.056
60/3	0.220	143	0.129
60/1	0.360	198/9/1	0.200
62/2	2.766	139/2	0.222
61	0.774	140/2, 142	0.195
62/1	1.825	198/9/2	0.200
63	0.190	223/5	0.972
66	6.984	137/1	0.510
277/238/63 ब	1.263	223/6	0.592
139/3	0.222	223/3	0.972
		129/1	0.222
		130/1	0.150

(1)	(2)	(1)	(2)
132/1	0.109	273/63/5/3	1.618
129/2	0.098	273/63/4	1.214
130/2	0.093	273/63/9	0.405
137/2	1.637	273/63/2	1.619
138/2	0.259	273/63/3/1	1.157
145/1	0.170	273/63/5/1	0.526
145/2	0.170	273/63/8	2.023
243/145/2	0.068	273/63/10	2.832
147/6	0.336	273/63/12	2.834
148	0.239	273/63/3/2	2.866
150	0.114	273/63/5/2/0003	0.333
147/3	0.294	273/63/5/2/0001	1.214
147/2	0.294	273/63/5/2/0002	1.214
147/4	0.500	67/7/1	0.380
147/5	0.210	48/1/1	0.026
147/1	0.592	48/1/2	0.026
151/1	0.150	198/5	0.607
198/1/1	1.795	23/13	0.405
198/6/3	0.500	23/24	0.405
198/6/2	0.500	23/18	0.028
198/3	0.500	23/19	0.020
198/6/1	0.500	223/4	0.480
198/10/1	0.120	23/21	0.028
198/10/2	0.100	23/22	0.028
198/2	3.399	23/26	0.405
198/7/2	0.126	23/27	0.405
198/11/2	0.500	38	4.695
198/7/1	0.120	141/2	0.182
198/11/1	0.500	149/1	0.344
223/1	0.350	120/1	0.075
223/2	0.280	274/69/2	0.126
36/2	0.350	69	0.100
233/36/2	1.027	198/4	0.607
36/3	0.463	241/117	0.016
233/36/3	0.089	23/4/2, 27/2	0.121
264/198/1	1.144	243/145/1	0.069
272/20/2	0.784	243/145/3	0.073
272/20/3	0.957	273/64/5	4.703
273/63/13	0.405	23/4/3, 27/2	0.405
273/63/1	1.417	156/1	0.125
273/63/11	1.417	127	0.256

(1)	(2)	(1)	(2)
153/1/2	0.076	31/2	0.390
153/1/3	0.044	32/1, 33, 34/1	0.300
153/2	0.263	48/4/1	0.101
157/4	0.160	32/2, 33, 34	0.300
154/1	0.160	32/3, 33, 34	0.040
221/1/2/2	0.230	32/4, 33, 34/4	0.010
154/2	0.675	32/5, 33, 34	0.070
157/1	0.105	15/3	0.050
35/2	0.387	18/3, 19/3	0.100
35/3	0.035	100/2	0.113
41/1	0.600	153/1/1	0.070
41/4	0.756	198/12	0.480
274/69/1	0.250	198/13	0.560
120/2	0.140	157/3	0.305
58/2/2, 59/1/1,	0.380	86/1/1	0.260
59/2/2, 234/39/1		100/1	0.110
67/7/2/1	0.150	221/1/4, 222	0.534
68	0.600	221/222/1/3	0.514
67/7/2/1	0.125	221/3/1, 222	0.240
67/8	0.506	221/3/2, 222	0.035
67/6/1	0.202	महायोग . . . 229.211	
67/6/2	0.202	(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—पार्वती	
132/3	0.291	परियोजना बांध निर्माण हेतु—भू-अर्जन. भूमि के नक्शे	
221/1/2/1, 222	0.141	(प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं	
221/1/2/3, 222	0.550	भू-अर्जन अधिकारी, सीहोर के कार्यालय में किया जा	
67/14	1.670	सकता है.	
274/69/3	0.126	प्र. क्र. 01-अ-82-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात	
120/3	0.075	का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में	
114/1	0.117	वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक	
114/2	0.121	प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और	
114/3	0.121	पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार	
115	0.368	अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित	
119/1	0.050	किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये	
121/1	0.214	आवश्यकता है:—	
121/2	0.214	अनुसूची	
31/1	0.420	(1) भूमि का वर्णन—	
125/1	0.032	(क) जिला—सीहोर	
125/2	0.032	(ख) तहसील—श्यामपुर	
125/3	0.032	(ग) ग्राम—बमूलिया दौराहा	
221/2, 222/2	0.454	(घ) क्षेत्रफल—30.395	
221/4, 222	0.272	सर्वे नंबर	योग
221/5, 222	0.100	(1)	(2)
		2/1	0.242
		2/2	0.242

(1)	(2)	(1)	(2)								
3	0.480	70/1/2	1.000								
4/2	1.539	70/5	0.405								
8/1	1.254	16	0.303								
6/7	1.262	40/1/1	0.041								
61/1	0.105	6/2/1, 656/6/2,	0.663								
6/1	0.607	657/6/1/1									
6/2/3, 656/6/2,	0.048	6/2/4, 656/6/2,	0.405								
657/6/1/1/3		657/6/1/4									
6/3/1, 656/6/2,	0.809	6/6	0.967								
657/6/1/2/1		6/2/2, 656/6/2,									
9	0.026	657/6/1/2	0.825								
13/1	0.121	6/3/2, 656/6/2,	0.603								
13/2	0.202	657/6/1/2									
13/3	0.161	6/4	1.015								
14/1	0.364	6/3/3/1, 656/6/2,	0.203								
14/2	0.243	657/6/1/2/3									
15/1	0.202	6/3/3/2, 656/6/2,	0.404								
15/3	0.121	657/6/1/2/3									
15/4	0.041	6/5	1.214								
18/1	0.250	61/2	0.105								
20/1	0.688	महायोग . . . 30.395									
20/2	0.161	<p>(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—पार्वती परियोजना बांध निर्माण हेतु—भू-अर्जन. भूमि के नक्शे प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.</p> <p>प्र. क्र. 14-अ-82-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—</p> <p style="text-align: center;">अनुसूची</p> <p>(1) भूमि का वर्णन—</p> <p>(क) जिला—सीहोर</p> <p>(ख) तहसील—श्यामपुर</p> <p>(ग) ग्राम—मरहेटी</p> <p>(घ) क्षेत्रफल—73.664</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>सर्वे नंबर</th> <th>योग</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(1)</td> <td>(2)</td> </tr> <tr> <td>181/27/4</td> <td>0.105</td> </tr> <tr> <td>3/3/1</td> <td>0.030</td> </tr> </tbody> </table>		सर्वे नंबर	योग	(1)	(2)	181/27/4	0.105	3/3/1	0.030
सर्वे नंबर	योग										
(1)	(2)										
181/27/4	0.105										
3/3/1	0.030										
24/2	0.130										
24/4	0.283										
24/5	0.049										
4/1	0.688										
4/3	0.809										
26/6	1.052										
26/5	0.566										
26/2	0.502										
67/3	2.000										
53/1	0.890										
55	0.024										
54	0.041										
57/3	0.010										
57/2	0.121										
60/2	1.133										
62/1	1.295										
67/1	2.000										
70/1/4	0.708										
70/1/1	0.243										
70/1/3	0.486										
689/70/2	0.044										

(1)	(2)	(1)	(2)
181/24/1	0.834	115/2/4	0.800
181/12/2	0.082	115/2/5	0.636
51	0.580	115/2/3	0.063
181/29	1.267	115/3/3, 185/1,	0.506
4	0.656	15/9, 185/1, 15/10	
181/30/1	0.421	115/3/5, 185/1, 15/9,	0.253
18/2	0.130	185/1, 15/10	
181/22/2	0.283	115/3/6, 185/1, 15/9,	0.304
8/4	0.080	185/1, 15/10	
181/30/3	0.425	115/2/1	0.624
41/2	0.030	115/2/6	0.367
49/2	0.299	120/4, 121/4	0.063
181/30/2	0.421	122/2	0.202
8/5	0.192	183/120/1	0.405
8/2	0.030	122/1	0.100
8/3	0.057	124/2, 125, 126	0.759
8/1	0.500	124/7, 125, 126	0.506
17/3	0.120	128/1	0.250
16/2, 17	0.300	128/6	0.526
18/1	0.016	128/9	0.498
181/12/1	0.082	128/8	1.011
181/33	0.635	128/10	0.514
181/32	0.631	98/1/2/ख	0.605
52/3	0.240	182/98/2	0.759
46/2/2	0.480	128/14	0.809
47	0.336	128/15	0.405
46/2/1	0.248	128/16/2	0.405
52/2/2	0.035	132/2	0.159
41/1	0.100	134	0.150
42	0.160	140/1/ख	0.038
46/1/2	0.120	131/1	0.253
52/2/1	0.035	129/3	0.809
50	0.572	129/3/2	0.809
52/1	0.202	129/1	4.124
182/98/1	0.200	136/1	0.086
106	0.370	140/1/क	0.038
135	0.400	140/1/1/ख	0.031
112/1	0.160	183/120/2	0.600
117/1	0.506	183/120/3	0.506
117/2	0.506	183/4, 120	0.100
118	1.000	182/9, 8/3	3.750
115/3/4, 185/1, 15/9,	0.101	181/3	1.757
185/1, 15/10		101/1	2.225

(1)	(2)	(1)	(2)
101/2/2	0.210	181/20/1	0.630
181/9	0.121	185/115/1	0.202
181/27/3	0.214	185/115/2	0.251
181/41	0.243	185/115/3	0.506
181/19/3	0.272	17/1, 16/1	0.126
181/37	0.317	128/16/1	0.561
181/22/1	0.574	131/5	0.712
181/22/2	0.316	132/1	0.025
181/4	0.486	101/3	2.225
181/5	0.486	129/4	1.214
181/27/1	0.316	129/2	1.214
5/1	0.020	3/3/2	0.200
181/6	0.490	52/5	0.160
181/7	0.121	24	0.030
181/8	0.241	185/115/8	1.113
181/10/1	0.081	128/2	0.200
181/10/2	0.161	128/4	0.379
181/10/3	0.081	128/5	0.789
181/10/5	0.080	128/7	0.050
181/25	1.267	127/1	0.312
181/31/3	0.506	127/2, 125, 126	0.734
181/31/4	0.107	52/2/3	0.035
181/31/1	0.107	52/2/4	0.035
181/31/2	0.546	52/4	0.161
181/2/2	0.809	49/1	0.264
181/19/2	0.607	181/2/1	0.069
181/26	1.267	181/10/4	0.081
181/28	0.315	181/11/1	0.243
181/17	0.486	181/11/2	0.243
181/34	1.267	181/12/3	0.083
181/21	0.409	181/24/2	0.433
181/1	0.878	181/40	0.486
181/14	0.490	136/2	0.020
181/15	0.490		
181/16	0.490		
181/18	0.490		
191/19/1	0.388		
181/23	1.267		
181/13	0.490		
181/38	0.317		
181/35	0.321		
181/36	0.317		
181/20/2	0.635		

महायोग . . . 73.664

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—पार्वती परियोजना बांध निर्माण हेतु—भू-अर्जन. भूमि के नक्शे प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 30 मई 2019

क्र. B-2703-चार-9-4-39 भाग-तीन-डी-पेंशन.—मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, जबलपुर एवं खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर की स्थापना के निम्नलिखित प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को उनकी अधिवाषिकी आयु पूर्ण करने के उपरांत उनके नाम के सामने तालिका के स्तम्भ क्रमांक (5) में अंकित दिनांक से सेवानिवृत्त किया जाता है:—

प्रथम श्रेणी अधिकारी

क्र.	नाम	पदनाम एवं पदस्थापना	जन्मतिथि	62 वर्ष की आयु पूर्ण करने का दिनांक	सेवानिवृत्ति का दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री उमाशंकर दुबे	रजिस्ट्रार सह माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के प्रमुख निजी सचिव, उच्च न्यायालय म. प्र., जबलपुर.	01-08-1958	31-07-2020	31-07-2020

द्वितीय श्रेणी अधिकारी

क्र.	नाम	पदनाम एवं पदस्थापना	जन्मतिथि	62 वर्ष की आयु पूर्ण करने का दिनांक	सेवानिवृत्ति का दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्रीमती पद्मिनी स्वामी	अनुभाग अधिकारी, उच्च न्यायालय म. प्र. खण्डपीठ, इन्दौर.	24-05-1958	23-05-2020	31-05-2020
2	श्री एस.बी.एस. बघेल	अनुभाग अधिकारी, उच्च न्यायालय, म. प्र., जबलपुर.	16-06-1958	15-06-2020	30-06-2020
3	श्री राधेश व्यौहार	अनुभाग अधिकारी, उच्च न्यायालय, म. प्र., खण्डपीठ, ग्वालियर.	26-06-1958	25-06-2020	30-06-2020
4	कु. प्रभा यादव	अनुभाग अधिकारी, उच्च न्यायालय, म. प्र., खण्डपीठ, ग्वालियर.	24-08-1958	23-08-2020	31-08-2020
5	श्री अवध नारायण गुप्ता	अनुभाग अधिकारी, उच्च न्यायालय, म. प्र., खण्डपीठ-इन्दौर.	02-10-1958	01-10-2020	31-10-2020
6	श्री एस. के. दुबे	अनुभाग अधिकारी, उच्च न्यायालय, म. प्र., जबलपुर.	26-10-1958	25-10-2020	31-10-2020

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
राजेन्द्र कुमार वाणी, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 22 मई 2019

क्र. D-3552-दो-2-64-2016.—श्री उमेश कुमार गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, बालाघाट को दिनांक 08 अप्रैल से 13 मई 2019 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छत्तीस दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री उमेश कुमार गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, बालाघाट को बालाघाट पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री उमेश कुमार गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 23 मई 2019

क्र. D-3571-दो-2-122-2017.—सुश्री स्वाति बजाज, ओ.एस.डी., मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 01 से 04 मई 2019 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 05 मई 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर सुश्री स्वाति बजाज, ओ.एस.डी., मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री स्वाति बजाज, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं, तो ओ.एस.डी. के पद पर कार्यरत रहतीं।

जबलपुर, दिनांक 30 मई 2019

क्र. B-2723-दो-2-63-2017.—श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को दिनांक 05 से 11 मई 2019 तक सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 12 मई 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को अलीराजपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-2737-दो-2-2-2010.—श्रीमती भागवती चौधरी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी को दिनांक 06 से 10 मई 2019 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती भागवती चौधरी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी को डिण्डौरी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती भागवती चौधरी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

जबलपुर, दिनांक 31 मई 2019

क्र. B-2745-दो-2-15-2019.—श्री महेन्द्र कुमार जैन, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, राजगढ़-ब्यावरा को दिनांक 08 से 11 मई 2019 तक चार दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 12 से 17 मई 2019 तक छह दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री महेन्द्र कुमार जैन, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, राजगढ़-ब्यावरा को राजगढ़-ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री महेन्द्र कुमार जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-2747-दो-2-21-2019.—श्री लखनलाल गर्ग, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मंदसौर को दिनांक 13 से 15 मई 2019 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 12 मई 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री लखनलाल गर्ग, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मंदसौर को मंदसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री लखनलाल गर्ग, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-3715-दो-2-67-2016.—श्रीमती सुरभि मिश्रा, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इन्दौर को दिनांक 03 से 10 मई 2019 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुरभि मिश्रा, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती सुरभि मिश्रा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. B-3717-दो-2-86-2018.—श्री पी. के. सिन्हा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को दिनांक 03 से 14 जून 2019 तक बारह दिन के स्वीकृत ग्रीष्मकालीन अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 15 से 21 जून 2019 तक सात दिन अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री पी. के. सिन्हा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को उमरिया पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. के. सिन्हा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-3719-दो-2-69-2017.—श्री राजीव कुमार सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, दमोह को दिनांक 27 मई से 01 जून 2019 तक छह दिन के स्वीकृत ग्रीष्मकालीन अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 02 से 04 जून 2019 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री राजीव कुमार सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, दमोह को दमोह पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजीव कुमार सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-3721-दो-2-33-2018.—श्री हितेन्द्र सिंह सिसौदिया, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक

28 मई से 02 जून 2019 तक जून छह दिन का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 03 से 14 जून 2019 तक बारह दिन ग्रीष्मकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 15 एवं 16 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री हितेन्द्र सिंह सिसौदिया, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित/ग्रीष्मकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री हितेन्द्र सिंह सिसौदिया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-3723-दो-2-24-2014.—श्री अरूण कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को दिनांक 01 से 02 अप्रैल 2019 तक दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरूण कुमार शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-3725-दो-2-26-2010.—श्री पी. के. अग्रवाल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना को दिनांक 23 से 25 मई 2019 तक तीन दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 26 मई 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री पी. के. अग्रवाल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना को पन्ना पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. के. अग्रवाल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.